[2020] 9 एस. सी. आर. 245

मुकेश सिंह

वी.

राज्य (दिल्ली की नार्कोटिक शाखा)

(2018 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 39528)

31 अगस्त, 2020

[अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, वाइन सरन,

एम. आर. शाह और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -

मुखबिर-पुलिस अधिकारी जो स्वयं शिकायतकर्ता है, जाँच करता है-मुकदमा, यदि दूषित किया जाता है; और अभियुक्त यदि हकदार है

बरी करना-विरोधाभासी राय-मामला शुरू में तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया-आगे पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया-आयोजितः सी. आर. पी. सी. की योजना के तहत, एक पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने के लिए जानकारी प्राप्त करने, उसी को दर्ज करने और फिर इसकी जांच करने पर कोई रोक नहीं है-इसके विपरीत, एस. एस. 154 , 156 और 157, सी. आर. पी. सी. पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को कम करने की अनुमति देता है।

ऐसी जानकारी लिखित रूप में और उसके बाद उसी की जांच करने के लिए-एस के अनुसार। 51 , एन. डी. पी. एस. अधिनियम, सी. आर. पी. सी. के प्रावधान, जहां तक वे इसके प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे-एन. डी. पी. एस. अधिनियम अध्याय V के तहत पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया के साथ एक विशेष अधिनियम होने के कारण, सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी और जांचकर्ता होने के लिए विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है-इसके विपरीत, यह अनुमति देता है। 58 , कानून का कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि हर मामले में जहां सूचना देने वाला जांचकर्ता है, मुकदमा दूषित हो जाता है और आरोपी बरी होने का हकदार होता है-इसके अलावा, क्या

संबंधित सूचना देने वाले द्वारा की गई जांच निष्पक्ष थी या नहीं, इसका फैसला हमेशा मुकदमे के समय किया जाना चाहिए-केवल इसलिए कि सूचना देने वाला जांचकर्ता है, इसके द्वारा ही जांच प्रभावित नहीं होगी और मामले पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

अन्याय/पक्षपात मामले के आधार पर-मोहन लाल बनाम में विपरीत निर्णय। पंजाब राज्य

(2018) 17 एस. सी. सी. 627 और इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने वाला कोई भी अन्य निर्णय अच्छा कानून नहीं है और खारिज कर दिया जाता है-दंड संहिता

प्रक्रिया, 1973-एसएस। 2 (ओ), 100,154,156,157,173,465

[2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का संविधान-Art.21-साक्ष्य अधिनियम, 1872-चित्रण (ई) से एस। 114 .

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस। 2 (ओ), 154,156,157-आयोजितः एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यू/परिभाषित किया गया है एस. 2 (ओ) को करना होगा

लिखित रूप में संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाने वाली जानकारी को कम करें जिसे एफ. आई. आर. कहा जा सकता है और उसे जानकारी की आगे की जांच करने की आवश्यकता होती है, जिसे लिखित रूप में कम किया जाता है।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-एस में "जानकारी"। 154 , सी. आर. पी. सी-आयोजितः बिना किसी योग्यता के "जानकारी" अभिव्यक्ति का उपयोग दर्शाता है

कि पुलिस को अपनी तर्कसंगतता या विश्वसनीयता से असंतुष्ट होने के बावजूद जानकारी दर्ज करनी होगी-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 154 .

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985

एसएस। 41 , 42 , 43 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 57 , 57 ए, 67,68-वारंट जारी करने की प्रक्रिया; सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी; प्रवेश; रोकें और खोज संप्रेषण, व्यक्ति-अधिनियम की योजना-चर्चा की गई।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985

एसएस। 41 , 42 , 43 , 44 , 53 – आयोजित किया गयाः धारा 53 केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, जैसा भी मामला हो, मादक पदार्थ नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग के किसी भी अधिकारी या किसी अन्य विभाग या ऐसे अधिकारियों के किसी भी वर्ग को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश करने के लिए अधिकृत करती है-यह नहीं बताती है कि ऐसे सभी अधिकारी उन अधिकारियों के अलावा होंगे जो यू/एस. एस. द्वारा अधिकृत हैं। 41 , 42 , 43 , और 44-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985

एसएस। 50 , 52 , 58 – अधिनियम के तहत अंतर्निहित सुरक्षा उपाय-चर्चा की गई।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985

एसएस। 35 , 54 - सबूत का उल्टा बोझ-आयोजितः एस. एस. के अनुसार अधिनियम के तहत अनुमान अभियुक्त के खिलाफ है। 35 और 54-सबूत के विपरीत बोझ के मामलों में, अभियोजन पर मौजूद प्रारंभिक बोझ के संतुष्ट होने के बाद ही अनुमान काम कर सकता है-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-दंड संहिता, 1860। 304 बी का कोड

दंड प्रक्रिया, 1973 एस। 157- भारत का संविधान-Art.21।

मुकेश सिंह वी. राज्य (दिल्ली की नार्कोटिक शाखा)

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 मोहन लाल के मामले में, दो अलग-अलग न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त परस्पर विरोधी विचारों पर ध्यान देने के बाद

इस न्यायालय की पीठों में से एक भगवान सिंह और मेघा सिंह के मामलों में और अन्य पंजाब राज्य के मामलों में बनाम। बलदेव सिंह (1999) 6 एस. सी. सी. 172; भास्कर रामप्पा मदार; और सुरेंदर, इस अदालत ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि एक ऐसे मामले में जहां सूचना देने वाला/शिकायतकर्ता और जांचकर्ता समान हैं, मुकदमा दूषित है और आरोपी बरी होने का हकदार है। हालाँकि, इसके बाद मोहन लाल के मामले में इस न्यायालय का निर्णय ही वरिंदर कुमार के मामले में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए गिर गया, जिस पर मोहन लाल के मामले में दो माननीय न्यायाधीश भी थे और यह देखा गया है कि मोहन लाल में तथ्य वास्तव में अभियोजन पक्ष की ओर से चूक के संबंध में बेहद स्पष्ट थे और उस पृष्ठभूमि में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस मुद्दे को किसी मामले के तथ्यों पर निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक आरोपी के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को बाधित करता है। में।

वरिंदर कुमार के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में कि मोहन लाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून संभावित रूप से लागू होगा और मोहन लाल में निर्धारित कानून से पहले लंबित आपराधिक अभियोजनों, मुकदमों और अपीलों को प्रभावित नहीं करेगा, जिसका अर्थ है कि वही संभावित रूप से लागू होगा, फिर भी इस न्यायालय को इस न्यायालय को भेजे गए मुद्दे पर अपने गुण-दोष पर विचार करना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहन लाल के मामले में भी न्यायालय ने Cr.P.C के प्रासंगिक प्रावधानों पर विस्तार से विचार नहीं किया, जिसके तहत जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा सकती है, विशेष रूप से धारा 154,156 और 157 और अन्य प्रावधान, अर्थात् धारा 465 Cr.P.C और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114। उक्त निर्णय में भी इस न्यायालय ने पूर्वाग्रह के पहलू पर विचार नहीं किया

मामले में अभियुक्त द्वारा स्थापित और साबित किया जाना

सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता द्वारा जाँच की गई है, जो अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से जाँच किए जाने वाले गवाहों में से एक होगा। यह न्यायालय

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना और विपरीत बोझ के सिद्धांत दोनों पर विस्तार से विचार नहीं किया और/या गलत अर्थ नहीं लगाया। [पैरा 8.1। 4] [279 - ई-एच; 280-ए-ई] [2020] 9 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.2 धारा 154 Cr.P.C. प्रदान करती है कि प्रत्येक जानकारी

संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में, यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दिया जाता है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित रूप में दिया जाएगा। धारा 156 Cr.P.C में प्रावधान है कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी कोई भी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच कर सकता है। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी की किसी भी कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसकी जांच करने का अधिकार इस धारा के तहत ऐसे अधिकारी को नहीं था। इसलिए, इस प्रकार, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर एक कर्तव्य डाला जाता है कि वह किसी संज्ञेय अपराध के करने से संबंधित लिखित जानकारी को कम करे और उसके बाद उसी की जांच करे। धारा 157 Cr.P.C. विशेष रूप से प्रदान करती है कि यदि, प्राप्त जानकारी से या अन्यथा, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास किसी अपराध के होने पर संदेह करने का कारण है, जिसे वह धारा 156 के तहत करने के लिए सशक्त है।

जाँच करते हुए, वह पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को तुरंत एक रिपोर्ट भेजेगा और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जाँच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मौके पर आगे बढ़ेगा और यदि आवश्यक हो, तो मामले की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करेगा।

अपराधी। इसलिए, धारा 157 Cr.P.C पर विचार करते हुए, या तो जानकारी प्राप्त करने पर या अन्यथा (अन्य स्रोतों जैसे गुप्त जानकारी, अस्पताल से या टेलीफोन संदेश से हो सकती है),

पुलिस थाना के प्रभारी ऐसे पुलिस अधिकारी पर यह दायित्व है कि वह सूचना का संज्ञान ले और स्वयं लिखित रूप में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करे और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता लगाने और उसकी गिरफ्तारी के लिए उपाय करे। उदाहरण के लिए, यदि किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी सड़क पर गुजरता है और उसे कोई शव मिलता है और/या किसी व्यक्ति को पीटा जा रहा है, जिसकी अंततः मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में लिखित में औपचारिक शिकायत देने के लिए कोई शव नहीं है, और जब किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास अपराध होने का संदेह करने का कारण है, तो उसे सूचना/शिकायत के रूप में लिखित रूप में इसे कम करना होगा। ऐसी स्थिति में, वह मामले की आगे की जांच करने से अछूता नहीं है। उसे संचालन करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है

ऐसी स्थिति में जांच। ऐसा भी हो सकता है कि एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पुलिस स्टेशन में हो और उसे मुकेश सिंह बनाम प्राप्त हो।

राज्य (दिल्ली की नार्कोटिक शाखा)

एक टेलीफोनिक संदेश, अस्पताल से हो सकता है, और कोई नहीं है निकाय लिखित रूप में औपचारिक शिकायत देने के लिए, ऐसे पुलिस अधिकारी से लिखित रूप में इसे कम करने की आवश्यकता होती है जिसे बाद में प्राथमिकी/शिकायत में परिवर्तित किया जा सकता है और उसके बाद वह मौके पर जाएगा और मामले की आगे की जांच करेगा। इस तरह की कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं। यही कारण है कि धारा 154,156 और 157 लागू होती हैं। धारा 173 Cr.P.C के तहत, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पूरा करने के बाद

मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने के लिए जांच की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, Cr.P.C की योजना के तहत, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने, उसे दर्ज करने और फिर इसकी जांच करने के लिए जानकारी प्राप्त करने पर रोक है। इसके विपरीत, धारा 154,156 और 157 एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को कम करने की अनुमति देती है।

संज्ञेय अपराध करने की जानकारी लिखित रूप में और उसके बाद उसकी जाँच करने के लिए। एक पुलिस के प्रभारी अधिकारी

स्टेशन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ओ) के तहत परिभाषित किया गया है। पी. सी. और इसमें शामिल है, जब पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी स्टेशन-हाउस से अनुपस्थित होता है या बीमारी या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो स्टेशन-हाउस में मौजूद पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी के अगले पद पर होता है और जो कांस्टेबल के पद से ऊपर होता है या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो कोई अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित होता है। जैसा कि इस न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम के मामले में कहा और अभिनिर्धारित किया। उत्तर प्रदेश सरकार, धारा 154 में उपयोग किया गया शब्द "होगा" पुलिस अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का कोई विवेकाधिकार नहीं देता है। बिना किसी योग्यता के "सूचना" अभिव्यक्ति का उपयोग यह भी दर्शाता है कि पुलिस को अपनी तर्कसंगतता या विश्वसनीयता से असंतुष्ट होने के बावजूद जानकारी दर्ज करनी पड़ती है। इसलिए, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाते हुए ऐसी जानकारी को कम करना पड़ता है जिसे एफ़. आई. आर. कहा जा सकता है और उसके बाद उसे आगे की जाँच करने की आवश्यकता होती है।

जानकारी, जिसे लिखित रूप में कम किया जाता है। [पैरा 9-9.2] [287-बी-एच; 288-ए-एच]

ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 एससीसी 1: [2013] 14 एस. सी. आर. 713-निर्भर।

1.3 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 धारा 42 में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को किसी भी [2020] 9 एस. सी. आर. से जानकारी लेने के लिए अधिकृत/अनुमति देती है।

स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से व्यक्ति है या नहीं

किसी भी जांच के दौरान एन. डी. पी. एस. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों का कोई उल्लंघन किया गया है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 68 में प्रावधान किया गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई भी अधिकारी यह कहने के लिए मजबूर नहीं होगा कि उसे आयोग के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली। कोई भी अपराध। उपरोक्त योजना और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों से यह प्रतीत होता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। धारा 41 (1) एक महानगर मजिस्ट्रेट या एक

यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण है और लिखित रूप में लिया गया है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो केंद्र सरकार या राजस्व पुलिस के किसी ऐसे अधिकारी या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय, अपने अधीनस्थ लेकिन चपरासी, सिपाही या सिपाही से उच्च पद के किसी भी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या किसी इमारत, वाहन की तलाशी लेने के लिए अधिकृत करना।

या दिन में या रात में या खुद ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करें या किसी इमारत, वाहन या स्थान की तलाशी लें। धारा 42 के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का कोई भी अधिकारी।

इस निमित्त केंद्र सरकार या राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण, पुलिस या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया है, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण है और लिखित रूप में लिया गया है कि कोई मादक पदार्थ, या मादक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है, तो ऐसे किसी भी भवन, परिवहन या स्थान में प्रवेश करें और तलाशी लें; प्रतिरोध के मामले में, मुकेश सिंह v.

राज्य (दिल्ली की नार्कोटिक शाखा)

किसी भी दरवाजे को तोड़ें और इस तरह के प्रवेश में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करें; ऐसी दवा या पदार्थ और उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों और किसी भी अन्य वस्तु और किसी भी जानवर या वाहन को जब्त करें, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह उत्तरदायी है। इस अधिनियम के तहत जब्ती और कोई भी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जिस पर उसे विश्वास करने का कारण है, इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के अपराध का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है या किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जो इस अधिनियम के अध्याय वी. ए. के तहत जब्ती या फ्रीज या जब्ती के लिए उत्तरदायी है; और किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है और तलाशी ले सकता है, और यदि वह उचित समझता है, तो उसे गिरफ्तार कर सकता है।

जिनके बारे में उनके पास यह मानने का कारण है कि उन्होंने इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है। धारा 42 की उप-धारा 2 के अनुसार, ऐसे अधिकारी को उप-धारा 1 या विश्वास के लिए अपने आधार के तहत लिखित रूप में ली गई जानकारी की एक प्रति 72 घंटों के भीतर अपने तत्काल अधिकारी वरिष्ठ को भेजनी होती है। [पैरा 9.3। 1 9.3. 4] [295 - ई-एच; 296-ए-जी]

धारा 42 में या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उल्लिखित और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाएगा जैसा कि धारा 50 की उप-धारा 1 में उल्लिखित है। धारा 50 की उप-धारा 5 के अनुसार, जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, बिना इस संभावना के कि उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और उसके पास कोई मादक पदार्थ या मादक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु हो। या दस्तावेज़, वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के तहत प्रदान किए गए व्यक्ति की तलाशी के लिए आगे बढ़ सकता है। धारा 50 की उप-धारा 6 में यह प्रावधान है कि उप-धारा (5) के तहत तलाशी लेने के बाद अधिकारी ऐसी धारणा के कारणों को दर्ज करेगा जिसके कारण ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी और 72 घंटे के भीतर उसकी एक प्रति अपने तत्काल अधिकारी को भेजेगा।

श्रेष्ठ। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी [2020] 9 एस. सी. आर.

धारा 52 में यह भी प्रावधान है कि धारा 41 की उप-धारा 1 के तहत जारी वारंट के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और जब्त की गई वस्तु को बिना किसी अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। जिनके द्वारा वारंट जारी किया गया था। धारा 52 की उप-धारा 3 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उप-धारा 2 के तहत सामान जब्त किया जाता है।

धारा 41,42,43 या 44 को बिना किसी अनावश्यक देरी के निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेजा जाएगा। कि इसके बाद

जाँच थाना प्रभारी अधिकारी द्वारा की जानी है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान, जहां तक वे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे। इसलिए, धारा 52 तक, शक्तियां अधिकारियों के पास विधिवत निहित हैं।

धारा 41,42 या 43 के तहत अधिकृत और उसके बाद जहां तक जांच का संबंध है, यह एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना है। [पैरा 9.3। 5- 9.3. 7] [296 - एच; 297-ए जी]

1.5 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 में यह नहीं कहा गया है कि वे सभी अधिकारी एक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन का प्रभार एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41,42,43 और 44 के तहत अधिकृत अधिकारियों के अलावा अन्य होगा। ऐसा प्रतीत होता है।

कि विधायिका ने अपने विवेक से यह कभी नहीं सोचा है कि धारा 41,42,43 और 44 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत अधिकारी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी नहीं हो सकते हैं।

जाँच में तलाशी और जब्ती भी शामिल है। चूँकि जाँच एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जानी है और कोई अन्य नहीं और इसलिए जानबूझकर धारा 53 केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, जैसा भी मामला हो, मादक पदार्थ नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग के किसी भी अधिकारी या किसी अन्य विभाग या ऐसे अधिकारियों के किसी भी वर्ग को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश करने के लिए अधिकृत करती है। धारा 42 किसी भी ऐसे अधिकारी को बिना वारंट या प्राधिकरण के प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करती है जैसा कि मुकेश सिंह बनाम में उल्लेख किया गया है।

राज्य (दिल्ली की नार्कोटिक शाखा)

धारा 42 में राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग के ऐसे अधिकारी सहित, जैसा भी मामला हो,

और जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 53 केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग के किसी भी अधिकारी या ऐसे अधिकारियों के किसी भी वर्ग को जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश करने के लिए अधिकृत करती है। राज्य के पास भी इसी तरह की शक्तियां हैं

सरकार। धारा 42 और 53 में एकमात्र परिवर्तन यह है कि

धारा 42 में "पुलिस" शब्द है, हालांकि धारा 53 में "पुलिस" शब्द नहीं है। पुलिस के लिए इस तरह की आवश्यकता की आवश्यकता नहीं होने का एक स्पष्ट कारण है क्योंकि वह हमेशा सी. आर. के तहत परिभाषित "पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी" की परिभाषा के अनुसार पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी हो सकता है। पी. सी. इसलिए, एन. डी. पी. एस. अधिनियम विशेष रूप से सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन का जांचकर्ता और प्रभारी अधिकारी होने से नहीं रोकता है। इसके विपरीत, यह अनुमति देता है, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है। इसके विपरीत दृष्टिकोण रखना धारा 53 और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करना और/या कुछ ऐसा जोड़ना होगा जो वहां नहीं है, जिसकी अनुमति नहीं है। [पैरा 9.3। 8-9.5] [298 - डी-एच; 299-ए-सी]

1.6 अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम धाराओं के तहत सबूत का उल्टा बोझ वहन करता है।

संबंधित सूचना देने वाले/जांचकर्ता को गवाह के रूप में उद्धृत किया जाएगा और वह हमेशा प्रतिपरीक्षा के अधीन रहता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें अभियोजन पक्ष का मामला भी पूरी तरह से आधारित न हो सूचना देने वाले/सूचना देने वाले-सह-अन्वेषक [2020] 9 एस. सी. आर. के बयान पर।

लेकिन कुछ स्वतंत्र गवाह और/या अन्य पुलिस गवाह भी हो सकते हैं। पुलिस कर्मियों की गवाही होगी

किसी अन्य गवाह की गवाही के समान व्यवहार किया जाए और कानून का कोई सिद्धांत नहीं है कि स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि के बिना उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के उदाहरण (ई) के अनुसार, कानून में यदि कोई आधिकारिक कार्य किया गया है, तो यह माना जाएगा कि यह नियमित रूप से किया गया है। ईमानदारी से या अपने अधिकार की सीमा के भीतर काम नहीं करने के विपरीत किसी भी सबूत के अभाव में लोक अधिकारियों को श्रेय दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां धारा 42,43 या 44 के तहत सशक्त कोई व्यक्ति

एन. डी. पी. एस. अधिनियम कष्टप्रद या दुर्भावनापूर्ण रूप से कार्य करता है, कानून ने स्वयं धारा 58 के अनुसार सजा का प्रावधान किया है और यह धारा 58 के तहत एक अपराध है जो एक संज्ञेय अपराध है और इस तरह के अपराध की जांच उस अधिकारी के अलावा "पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी" द्वारा की जानी चाहिए जिसने प्रवेश की शक्ति का प्रयोग किया था।

धारा 42,43 या 44 के तहत तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी स्वाभाविक रूप से ऐसे मामले में वह एक प्रस्तावित आरोपी होगा और इसलिए उसे जांच करने और अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, जहाँ तक एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ जाँच का संबंध है, वही सादृश्य लागू नहीं हो सकता है। अब जहाँ तक टिप्पणियों द्वारा किया गया है

इस न्यायालय ने मोहन लाल में पैरा 13 में कहा कि सबूत के विपरीत बोझ की प्रकृति में, अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी होगी -

यह दर्शाते हुए कि जाँच निष्पक्ष, विवेकपूर्ण थी और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिससे इसकी सत्यता के बारे में संदेह पैदा हो, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम के तहत धारणा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और 54 के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ है। इस प्रकार, प्रमाण के विपरीत बोझ के मामलों में, अनुमान केवल प्रारंभिक बोझ के बाद ही काम कर सकता है जो उस पर मौजूद है।

अभियोजन संतुष्ट है। उल्टा बोझ केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों में मौजूद नहीं है, बल्कि आई. पी. सी.-धारा 304 बी का भी एक हिस्सा है और दंड संहिता के तहत ऐसे सभी अपराधों की जांच Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार की जानी है और इसके परिणामस्वरूप। सूचना देने वाला स्वयं धारा 157 Cr.P.C के तहत उक्त अपराधों की जांच कर सकता है। [पैरा 10-10.3] [299-डी-एच; 300-ए-जी]

करमजीत सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) (2003) 5 मुकेश सिंह बनाम।

राज्य (दिल्ली की नार्कोटिक शाखा)

एस. सी. सी. 291 [2003] 3 एस. सी. आर. 25; देवेंद्र पाल सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2002) 5 एस. सी. सी. 234: [2002] 2 एस. सी. आर. 767 पर भरोसा किया। -

अभियोजन केवल इस आधार पर कि सूचना देने वाले के पास है मामले की जांच की। केवल किसी आशंका या संदेह के आधार पर, अभियोजन पक्ष के पूरे संस्करण को खारिज नहीं किया जा सकता है और जब तक अभियुक्त पक्षपात और पूर्वाग्रह को स्थापित करने और साबित करने में सक्षम नहीं होता है, तब तक अभियुक्त को सीधे बरी नहीं किया जा सकता है। पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के सवाल को स्थापित करना होगा

और अनुमान नहीं लगाया। पक्षपात के सवाल का फैसला प्रत्येक मामले के तथ्यों पर करना होगा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम विशेष उद्देश्य वाला और धारा 68 सहित विशेष प्रावधानों वाला एक विशेष अधिनियम है। यह प्रावधान है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के किसी भी प्रावधान के तहत उसे निहित शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई भी अधिकारी यह कहने के लिए मजबूर नहीं होगा कि उसे किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली। इसलिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम को विशेष अधिनियम मानते हुए

अध्याय 5 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, सूचना देने वाले द्वारा स्वयं जांच करने के खिलाफ कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है और अधिनियम के तहत प्रदान की गई सुरक्षा को देखते हुए, अर्थात् धारा 58, कानून का कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि प्रत्येक मामले में जहां सूचना देने वाला जांचकर्ता है, मुकदमा दूषित हो जाता है और आरोपी बरी होने का हकदार है।

इसी तरह, आई. पी. सी. के तहत अपराधों के संबंध में भी, मामले की जांच करने वाले सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है। केवल ऐसे मामले में जहां अभियुक्त सूचना देने वाले-सह-अन्वेषक द्वारा पक्षपात और/या अनुचित जांच को स्थापित करने और साबित करने में सक्षम रहा है और अभियोजन पक्ष का मामला केवल सूचना देने वाले-सह-बयान पर आधारित है।

अन्वेषक, जिसका अर्थ है कि इस प्रकार अभियोजन पक्ष अन्य गवाहों, विशेष रूप से स्वतंत्र गवाहों पर भरोसा नहीं करता है, उस मामले में, जहां शिकायतकर्ता ने स्वयं जांच की थी, रिकॉर्ड पर साक्ष्य का आकलन करते समय मामले के ऐसे पहलू को निश्चित रूप से उचित महत्व दिया जा सकता है। [पैरा 11] [300-एच; 301-ए-एफ]

राजस्थान राज्य बनाम। रामचंद्र (2005) 5 एस. सी. सी. 151 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

: [2005] 3 एस. सी. आर. 496; भारत संघ बनाम। विपन कुमार जैन (2005) 9 एस. सी. सी. 579; राज्य बनाम। वी. जयपॉल (2004) 5 एससीसी 223: [2004] एससीआर 330; भास्कर रामप्पा मदार बनाम। कर्नाटक राज्य (2009) 11 एस. सी. सी 690: [2009] 5

एस. सी. आर. 256-पर निर्भर।

1.8 संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः

I. भगवान के मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियां

सिंह बनाम। राजस्थान राज्य; मेघा सिंह बनाम। हरियाणा राज्य; और पुलिस निरीक्षक, एन. आई. बी., तमिलनाडु बनाम। राजंगम और इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को इस आधार पर बरी करना कि सूचना देने वाला और जांचकर्ता एक ही थे, इसने मुकदमे को दूषित कर दिया है और अभियुक्त बरी होने का हकदार है, को अपने तथ्यों तक ही सीमित माना जाना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त निर्णयों में, इस न्यायालय ने कोई सामान्य प्रस्ताव रखा है।

कानून के अनुसार प्रत्येक मामले में जहां सूचना देने वाला जांचकर्ता है, आरोपी के प्रति पक्षपात होता है और पूरे अभियोजन मामले पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और आरोपी का अधिकार है।

बरी करने के लिए;

II. ऐसे मामले में जहां सूचना देने वाला स्वयं जांचकर्ता है, उसके द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच दूषित है।

पूर्वाग्रह या समान कारक का आधार। पक्षपात या पूर्वाग्रह का सवाल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए, केवल इसलिए कि सूचना देने वाला जांचकर्ता है, इसके द्वारा ही जांच को नुकसान नहीं होगा

अन्याय या पक्षपात और इसलिए एकमात्र आधार पर कि सूचना देने वाला अन्वेषक है, अभियुक्त बरी होने का हकदार नहीं है। मामले का फैसला मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना है। मोहन लाल बनाम के मामले में इस न्यायालय का एक विपरीत निर्णय। पंजाब राज्य (2018) 17 एस. सी. सी. 627 और इसके विपरीत विचार रखने वाला कोई अन्य निर्णय कि सूचना देने वाला जांचकर्ता नहीं हो सकता है और ऐसे मामले में आरोपी बरी होने का हकदार है, कानून के अनुसार सही नहीं है और वे हैं -

विशेष रूप से अस्वीकृत। [पैरा 12] [302-बी-जी]

मोहन लाल बनाम। पंजाब राज्य (2018) 17 एससीसी 627:

[2018] 9 एस. सी. आर. 1006-खारिज।

भगवान सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (1976) 1 एस. सी. सी. केश सिंह बनाम।

राज्य (डी. ई. आई. की नार्कोटिक शाखा)

15 ; मेघा सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (1996) 11 एस. सी. सी. 709; पुलिस निरीक्षक, एन. आई. बी., तमिलनाडु बनाम। राजंगम (2010) 15 एस. सी. सी. 369; वरिंदर कुमार बनाम। राज्य हिमाचल प्रदेश (2020) 3 एस. सी. सी. 321: [2019] 2 एससीआर 707; मेनका गांधी बनाम। भारत संघ (1978) 1 एससीसी

248 : [1978] 2 एससीआर 621; एच. एन. रिशबुद बनाम दिल्ली राज्य ए. आई. आर 1955 एस. सी. 196: [1955] 1 एस. सी. आर. 1150; मनु शर्मा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2010) 6 एस. सी. सी. 1: [2010] 4 एससीआर 103; रोमिला थापर बनाम। भारत संघ (2018) 10 एससीसी

753 [2018] 11 एस. सी. आर. 951; हेमा बनाम राज्य (2013) 10 एस. सी. सी. 192 [2013] 3 एस. सी. आर. 1; बाबूभाई बनाम। गुजरात राज्य (2010) 12 एससीसी 254: [2010] 10 एससीआर 651; रफीक अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 8 एस. सी. सी. 300: [2011] 11 एससीआर 907; विली (विलियम) स्टेनी बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [1955] एस. सी. आर. 1140; सुनील कुमार बनर्जी बनाम। की स्थिति

पश्चिम बंगाल (1980) 3 एससीसी 304: [1980] 3 एस. सी. आर. 17; एस. जीवनथम बनाम। राज्य (2004) 5 एस. सी. सी. 230 [2004] 1 पूरक। एससीआर 607; विनोद कुमार बनाम। पंजाब राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 220 [2015] 1 एस. सी. आर. 504; सुरेंद्र बनाम। की स्थिति

हरियाणा (2016) 4 एस. सी. सी. 617 [2016] 1 एस. सी. आर. 174; जमुना चौधरी बनाम बिहार राज्य (1974) 3 एससीसी 774: [1974] 2 एससीआर 609; कश्मीरी देवी बनाम। दिल्ली प्रशासन। , (1988) पूरक। एससीसी 482: [1988] एस. सी. आर. 700; विनय त्यागी बनाम। इरशाद अली (2013) 5 एससीसी 762: [2012] 13 एस. सी. आर. 1005; निरंजन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1956] एस. सी. आर. 734;

परमजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2007) 13 एससीसी 530: [2007] 11 एस. सी. आर. 776; रेखा बनाम. महाराष्ट्र राज्य (2010) 15 एस. सी. सी. 725; भारत संघ बनाम। टी. नाथामुनी (2014) 16 एससीसी 285: [2014] 12 एस. सी. आर. 297; हार्डिप सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2008) 8 एससीसी 557: [2008] 12 एस. सी. आर. 311; पंजाब राज्य बनाम। नूर आगा (2008) 16 एससीसी 417: [2008] 10 एस. सी. आर. 379; पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999) 6 एससीसी 172: [1999] 3 एससीआर 977; यू. पी. राज्य बनाम भगवंत किशोर जोशी, ए. आई. आर 1964 एस. सी. 221: [1964] 3

एस. सी. आर. 71-संदर्भित।

सम्राट वी। ख्वाजा नजीर अहमद, ए. आई. आर. 1945 पी. सी. 18 -

संदर्भित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2018] 9 एससीआर 1006

पैरा
1

खारिज कर दिया गया

[2019] 2 एससीआर 707

संदर्भित किया गया है

पैरा
2

(1976) 1 एससीसी 15

पैरा
3.1

संदर्भित किया गया है

(1996) 11 एस. सी. सी. 709

संदर्भित किया गया है

पैरा
3.1

(2010) 15 एस. सी. सी. 369

पैरा
3.1

संदर्भित किया गया है

[1978] 2 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा
3

[1955] 1 एससीआर 1150

पैरा

3.7

संदर्भित किया गया है

[2010] 4 एससीआर 103

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.7

[2018] 11 एससीआर 951

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.12

[2013] 3 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3.12

[2010] 10 एससीआर 651

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.12

[2011] 11 एससीआर 907

पैरा

3.116

संदर्भित किया गया है

[1955] एससीआर 1140

संदर्भित किया गया है

पैरा

3,17

[1980] 3 एस. सी. आर. 17

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.9

[2004] एससीआर 330

उस पर भरोसा करें

पैरा

5.9

[2004] 1 पूरक। एससीआर 607

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.9

[2009] 5 एससीआर 256

उस पर भरोसा करें

पैरा

5.9

[2015] 1 एससीआर 504

पैरा

5.9

संदर्भित किया गया है

[2016] 1 एससीआर 174

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.9

[1974] 2 एससीआर 609

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.10

[1988] एससीआर 700

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.10

[2012] 13 एससीआर 1005

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.10

[1956] एससीआर 734

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.10

[2007] 11 एससीआर 776

पैरा

5.10

संदर्भित किया गया है

(2010) 15 एस. सी. सी. 725

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.10

[2014] 12 एससीआर 297

पै

रा 5.10

संदर्भित किया गया है

[2008] 12 एससीआर 311

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6.6।

2 मुकेश सिंह वी. राज्य (दिल्ली की नार्कोटिक शाखा)

[2005] 3 एससीआर 496

उस पर भरोसा करें

पैरा

6.6। 3

(2005) 9 एस. सी. सी. 579

उस पर भरोसा करें

पैरा

6.6। 3

[2008] 10 एससीआर 379

पै

रा 6.7

संदर्भित किया गया है

[1999] 3 एससीआर 977

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.1। 4

[1964] 3 एससीआर 71

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.2। 1

[2013] 14 एससीआर 713

उस पर भरोसा करें

पैरा

9.2

[2003] 3 एससीआर 25

उस पर भरोसा करें

पैरा

10

[2002] 2 एससीआर 767

उस पर भरोसा करें

पैरा

10

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश

2018 की याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 39528।

उच्च न्यायालय के 08.04.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की आपराधिक अपील संख्या 1598 में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार की ओर से।

के साथ

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं। 5648 , 5894 और 8499 का

2019 .

तुषार मेहता, एस. जी., अमन लेखी, ए. एस. जी., ए. के. श्रीवास्तव, सीनियर एड. ,

कानू अग्रवाल, ए. के. श्रीवास्तव, सुश्री श्रद्धा देशमुख, शिवानी मिश्रा, ऋत्विज ऋषभ, शांतनु शर्मा, मनन पोपली, सौरभ मिश्रा, रजत नायर, बी. वी. बलराम दास, उदित अतुल कुमार, उज्जवल सिन्हा, महक हुरिया, अदनान सिद्दीकी, सुश्री लक्षिका सचदेवा, प्रसाद, पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, हर्ष जैन, हर्षित खंडूजा, अभिनव देशवाल, सुश्री सुगम गुप्ता, पंकज शर्मा (सुश्री प्रतिभा जैन के लिए) अजय गर्ग, मनीष शंकर, अश्विनी के सूद, सुश्री वनिका बजाज, सुश्री तिर्पटी गोला, सैयद इम्तियाज अली, राजीव शंकर द्विवेदी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. इस न्यायालय के निर्णय की शुद्धता पर संदेह करते हुए

मोहन लाल बनाम। पंजाब राज्य ने (2018) 17 एस. सी. सी. 627 में यह विचार रखते हुए रिपोर्ट दी कि यदि जांच पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, जो स्वयं शिकायतकर्ता है, तो मुकदमा दूषित हो जाता है और आरोपी बरी होने का हकदार होता है, शुरू में 17.01.2019 के आदेश द्वारा मामले को तीन न्यायाधीशों वाली एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। ए.

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से मामले पर विचार करने के लिए पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजा है। इसीलिये वर्तमान

मामला पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. प्रारम्भ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मोहन लाल (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में यह विचार रखा गया है कि

जाँच पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है जो स्वयं शिकायतकर्ता है, मुकदमा दूषित हो जाता है और अभियुक्त बरी होने का हकदार होता है, जो बाद में वरिंदर कुमार बनाम के मामले में इस अदालत के समक्ष विचार के लिए आया। हिमाचल प्रदेश राज्य 2019 (3) स्केल 50 = (2020) 3 एस. सी. सी. 321 और इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ [जिनमें से दो माननीय न्यायाधीश भी मोहन लाल (उपरोक्त) के मामले में पीठ में थे] ने अभिनिर्धारित किया कि मोहन लाल (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, जिसका अर्थ है कि इस न्यायालय में निर्धारित कानून से पहले सभी लंबित आपराधिक अभियोजन, मुकदमे और अपीलें। मोहन लाल (उपरोक्त) मामले के व्यक्तिगत तथ्यों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे। वरिंदर कुमार (ऊपर) के मामले में प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे संदर्भित और विचार किया जाना है।

3. अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन-देवेंद्र सिंह ने निम्नलिखित बात कही हैः

उनके इस निवेदन के समर्थन में प्रस्तुतियाँ कि मोहन लाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि एक दिए गए मामले में जहां शिकायतकर्ता ने स्वयं जांच की है, पूरे मुकदमे को दूषित कर दिया जाएगा और आरोपी बरी होने का हकदार होगाः

3.1 मोहन लाल (उपरोक्त) में निर्णय ठोस संवैधानिक आधार और आपराधिक अपराध के सिद्धांतों पर आधारित है।

न्यायशास्त्र। पैरा 5 में उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या आपराधिक अभियोजन में, यह न्याय, निष्पक्षता और निष्पक्ष जांच के सिद्धांतों के अनुरूप होगा, यदि सूचना देने वाला और जांच अधिकारी एक ही व्यक्ति हैं और ऐसे मामले में, क्या अभियुक्त के लिए पूर्वाग्रह प्रदर्शित करना आवश्यक है, विशेष रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसे कानूनों के तहत, जिसमें सबूत का उल्टा बोझ है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और 54 के तहत सबूत के विपरीत बोझ पर विस्तार से विचार किया। इसके बाद, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत एक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी पर विस्तार से विचार किया था जो "निष्पक्ष जांच" को अपने दायरे में लेता है। इसके बाद इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन किया जाता है कि सबूत के विपरीत बोझ की प्रकृति में, अभियोजन पक्ष पर यह प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी होगी कि जांच निष्पक्ष, विवेकपूर्ण थी और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिससे इसकी सत्यता के बारे में संदेह पैदा हो। यह आगे देखा गया है कि यदि जांच स्वयं अनुचित है, तो आरोपी से पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी मुकेश सिंह बनाम।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

पुलिस को मनमाने ढंग से शक्तियां सौंपने के खतरे से भरा, जिससे गलत निहितार्थ भी हो सकते हैं। इसके बाद इस न्यायालय ने पैराग्राफ 17 और 29 में जांचकर्ता और स्वयं जांच की भूमिका और दायित्वों पर विचार किया। इसके बाद निर्णयों पर भरोसा करने के बाद

भगवान सिंह बनाम के मामलों में इस न्यायालय का। राजस्थान राज्य

सबूत के विपरीत बोझ वाले कानूनों में यह आवश्यकता और भी अधिक अनिवार्य है। 3.2 मोहन लाल (उपरोक्त) में जिन कारणों का समर्थन किया गया है, वे अंतर्निहित हैं और अध्याय V-"प्रक्रिया" में विधायिका द्वारा अंतर्निहित हैं, जो अनुच्छेद 21 के उद्देश्य के लिए "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" होगी;

3.3 जैसा कि अब मेनका गांधी बनाम के मामले में निर्णय के बाद तय किया गया है। भारत संघ (1978) 1 एस. सी. सी. 248 कि प्रक्रिया

3.4 अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इसके बाद हमें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की "योजना" की ओर ले गए हैं। विशेष रूप से धारा 8 (सी) और धारा 15 से 22। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 54 इस धारणा को जन्म देती है कि अभियुक्त ने अधिनियम के तहत अपराध किया है और एक अभियुक्त पर सबूत का उल्टा बोझ डालता है जो कब्जे में पाया जाता है और जिसके लिए वह संतोषजनक रूप से जवाब देने में विफल रहता है।

धारा 35 न्यायालय को दोषी मानसिक स्थिति के लिए अनिवार्य करती है जब तक कि इसके विपरीत न हो। सिद्ध हो जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार "वसूली" और "कब्जा" एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच का एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। अगर

अभियुक्त के पास निषिद्ध पदार्थ पाया जाता है, धारा 54 अपराध करने की धारणा को जन्म देती है और धारा 35 दोषपूर्ण मानसिक स्थिति की धारणा को जन्म देती है। अधिकारी या छापा मारने वाला पक्ष जो वसूली को प्रभावित करता है, उक्त तथ्य का गवाह है जो एक अपराध होगा और इसलिए उक्त पहलू की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। जाँच एक प्रणालीगत प्रक्रिया है और एक क्षमा किए गए निष्कर्ष नहीं है जो स्वयं सूचना देने वाले द्वारा दर्ज की गई एफ़. आई. आर. बनाता है जो स्वयं वसूली को एक सुसमाचार सत्य के रूप में माना जाता है।

3.5 अभियुक्त के हितों की रक्षा के लिए, कानून ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अंतर्निहित सुरक्षा प्रदान की है। कि अधिनियम

विभिन्न अधिकारियों द्वारा वसूली और जांच की आवश्यकता होती है, यानी धारा 42 और 53 के तहत सशक्त अधिकारियों द्वारा। एक अधिकारी की भूमिका

धारा 42 के तहत प्रभाव "प्रवेश", "तलाशी", "जब्ती" और "गिरफ्तारी" तक सीमित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 42 के तहत एक अधिकारी के पास कोई शक्ति नहीं है

जाँच;

3.6 उस धारा 52 (3) के तहत एक अधिकारी से धारा 42 के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति या जब्त की गई वस्तु को धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी (जिसे अधिनियम के तहत जांच की शक्ति प्रदान की गई है) या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपने की आवश्यकता होती है, जिसके पास Cr.P.C के तहत जांच की शक्ति है। उस स्तर पर जब धारा 42 के तहत अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या उसके द्वारा जब्त की गई वस्तुओं को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकारी को सौंपने की आवश्यकता होती है, तो उसके द्वारा ऐसे अधिकारियों को दी गई जानकारी को पहली सूचना रिपोर्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जैसे ही जांच एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दिए गए अपराध से संबंधित जानकारी पर शुरू होती है और धारा 154 Cr.P.C के तहत दर्ज की जाती है। 3.7 . टेलीफोन आदि पर एक गुप्त संदेश जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक गुप्त मुखबिर आदि द्वारा प्रदान की गई जानकारी के समान है, इसलिए एक प्राथमिकी का गठन नहीं कर सकता है। जब वसूली की जाती है और/या गिरफ्तारी की जाती है, तो संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी स्पष्ट हो जाती है। इस तरह के हस्तांतरण के बाद, धारा 42 अधिकारी की भूमिका समाप्त हो जाती है, सिवाय इसके कि उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 57 के तहत 48 घंटे के भीतर अपने वरिष्ठ अधिकारी को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होती है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, वह समय जब धारा 42 अधिकारी मुकेश सिंह v को सौंपता है।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

गिरफ्तार किया गया व्यक्ति या जब्त किया गया सामान, पहली बार है-"जांच अधिकारी" द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है और वह समय है

जाँच शुरू करना। एच. एन. रिशबुद बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भारी निर्भरता रखी गई है। दिल्ली राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 196 और मनु शर्मा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2010)

6 एससीसी 1;

3.8 यदि धारा 41 (2) या धारा 42 के तहत अधिकारी को कुछ गुप्त जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे वैधानिक रूप से इसके तहत सूचित करना आवश्यक है।

72 घंटे के बाद अपने वरिष्ठ अधिकारी को अधिनियम की धारा 42 (2)। अधिकारी बाध्य नहीं है और अधिनियम की धारा 68 में निहित बाधा को देखते हुए उसे अपनी जानकारी का स्रोत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, धारा 42 अधिकारी स्वयं या उसके अधीनस्थ अधिकारियों, जो उसके छापा मारने वाले दल का हिस्सा हैं, की मौखिक गवाही के अलावा, यह सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि

उसने किसी पूर्व गुप्त सूचना पर कार्रवाई की है या कि वसूली आदि एक आकस्मिक वसूली थी या कि अधिकारी बाहरी रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहा था। गिरफ्तारी या बरामदगी के बाद भी, जबकि धारा 42 के तहत अधिकारी को जब्त की गई वस्तुओं और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को "अनावश्यक देरी के बिना" जांच अधिकारियों को अग्रेषित करने की आवश्यकता होती है, उसे 48 घंटों में अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, धारा 42 के तहत अधिकारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो

" शिकायतकर्ता ", अर्थात, वह व्यक्ति जो गिरफ्तारी और स्वयं या उसके छापा मारने वाले पक्ष द्वारा की गई बरामदगी के आधार पर संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाता है। वह गवाह है जो अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थों की बरामदगी/बरामदगी का "दावा" करता है। जाँच अधिकारी द्वारा जाँच के दौरान इन दावों को सत्यापित और प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब्त की गई वस्तुएं "जांच अधिकारी" के नियंत्रण में आ जाती हैं, तो उसे अधिनियम की धारा 52 (4) के तहत उनके निपटारे के लिए उपाय करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति। गिरफ्तार व्यक्ति को धारा 167 Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और जब्त किए गए मादक पदार्थ से एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकारी या एस. एच. ओ. द्वारा उसके अनुसार निपटा जाना आवश्यक है।

धारा 52 ए के साथ। जाँच की प्रक्रिया में, धारा 42,43 और 44 के तहत अधिकारी के आचरण की भी जाँच की जानी चाहिए।

यदि जाँच के बाद यह पाया जाता है कि शिकायतकर्ता/मुखबिर द्वारा किया गया दावा उचित है, तो वह अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करेगा, हालांकि, यदि उसे पता चलता है कि धारा 42 के तहत अधिकारी ने कष्टप्रद या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है, तो उसे धारा

58 के तहत भी दंडित किया जा सकता है और इसलिए वह धारा 58 के तहत अपराध के लिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करेगा। [2020] 9 एस. सी. आर. के तहत अपराध।

धारा 58 भी एक संज्ञेय अपराध है और इसलिए लगाए गए एक आरोप पर "पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी" उस पर संज्ञान लेने और जांच करने के लिए बाध्य है। एक अलग एजेंसी द्वारा एक स्वतंत्र जांच दोनों पक्षों को विश्वसनीयता और निष्पक्षता प्रदान करती है। अगर

धारा 42 के तहत अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी है, उसका मुकदमा भी "जांच" सामग्री पर आधारित होगा। यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत व्यापक शक्तियों के कारण दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के स्रोत की संभावना को भी बाहर कर देगा। 3.9 इसलिए धारा 42 के तहत कार्रवाई करने वाले अधिकारी द्वारा तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी को प्रभावित करने के लिए जांच को सौंपना या जारी रखना योजना के तहत समझ में नहीं आता है। यह धारा 58 को पूरी तरह से निरर्थक और अनुचित बना देगा क्योंकि वह अपने खिलाफ जांच नहीं करेगा और अपने खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं करेगा। यदि अभियुक्त के कब्जे में नहीं पाया जाता है, तो जांच अधिकारी को अपने स्रोत की व्याख्या करनी होगी अन्यथा उसके कब्जे में एक प्रतिबंधित पदार्थ का "कब्जा" भी धारा 8 को आकर्षित करेगा। दो अलग-अलग धाराओं यानी धारा 42 और 53 बनाने की योजना विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को सशक्त बनाएगी।

धारा 53 के तहत एक अधिकारी; 3.11 एन. डी. पी. एस. अधिनियम "संयुक्त प्राधिकरण" पर विचार नहीं करता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो धारा 42 दोनों को शक्ति प्रदान करती।

" उसी अधिकारी पर प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के साथ-साथ "जांच"। यह तथ्य कि दो अलग-अलग धाराएँ, अर्थात् धारा 42 और धारा 53 का प्रावधान किया गया है और धारा 52 (3) धारा 42 अधिकारी द्वारा धारा 53 अधिकारी या एस. एच. ओ. को "सौंपने" पर विचार करती है, जिसका अर्थ है कि दो अलग-अलग अधिकारी होने चाहिए;

3.12 "निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच" का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है। "निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच" संविधान के अनुच्छेद 21 से बहने वाले अभियुक्त का अधिकार है। रोमिला थापर बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। भारत संघ (2018) 10 एस. सी. सी. 753 (पैरा 67); मनु शर्मा (ऊपर) (पैरा 200 से 202); हेमा बनाम। राज्य (2013) 10 एस. सी. सी. 192 (पैरा 10) और बाबूभाई बनाम। गुजरात राज्य (2010) 12 एस. सी. सी. 254 (पैरा 32); मुकेश सिंह बनाम।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

3.13 " यदि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना की व्याख्या की जाती है और इसे किसी व्यक्ति के हाथों में छोड़ दिया जाता है तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता गंभीर खतरे में पड़ जाएगी।

अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी जांच और सुरक्षा उपायों के बिना व्यक्ति। किसी व्यक्ति को यह अनुमति देना अस्वीकार्य और समझ से परे है कि (i) आरोप लगाना; (ii) यह तथ्य कि वह आरोप लगाता है, दंडात्मक अपराध करने के लिए "पर्याप्त घटक" है; (iii) उस आरोप की "जांच" करना जो वह स्वयं लगाता है; और (iv) आरोप को साबित करने के लिए "गवाह" बनना और फिर उसकी गवाही के आधार पर एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और दंडित किया जाता है;

3.14 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक दोषसिद्धि को घर लाने के लिए, अभियोजन को एक सामग्री स्थापित करने की आवश्यकता है

अपराध "उचित संदेह से परे";

3.15 यदि अभियुक्त के बचाव की अन्य सभी संभावनाओं को खारिज करने के लिए ठीक से जांच नहीं की जाती है, तो यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने "उचित संदेह से परे" अपराध को स्थापित किया है। एक शिकायत द्वारा एक दागी जांच जो स्वयं एक अपराध के एक महत्वपूर्ण घटक की "गवाह" है, वास्तव में एक "संदेह" को जन्म देगी और यह असंभव है कि मामले को "उचित से परे" के मापदंड पर स्थापित किया जा सकता है।

संदेह ";

3.16 अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए खतरे के साथ दंडनीय आपराधिक अपराध का आरोपी व्यक्ति, संविधान के तहत या आपराधिक न्यायशास्त्र के लंबे समय से विकास के माध्यम से कुछ अधिकार प्राप्त करता है। कोई भी कार्रवाई जो उन अधिकारों को बाधित करती है या प्रभावित करती है, उसे "अभियुक्त के लिए पूर्वाग्रह" का कारण कहा जाएगा। वह रफीक अहमद बनाम के मामले में। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 8 एस. सी. सी. 300 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता की जांच (i) निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार (ii) अपराध की घोषणा होने तक निर्दोष होने का अनुमान और (iii)

प्रमाण के मानक। उक्त निर्णय में यह देखा गया है कि जब भी अभियुक्त द्वारा पूर्वाग्रह की याचिका उठाई जाती है, तो उपरोक्त अधिकारों और सुरक्षा उपायों के संदर्भ में इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि यह केवल इन अधिकारों का उल्लंघन है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो सकता है और अभियुक्त को कानून के अनुसार लाभ हो सकता है।

3.17 धारा 457 वास्तव में शिकायत, समन, वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या मुकदमे से पहले या उसके दौरान या किसी जांच या अन्य कार्यवाही में त्रुटि, चूक या अनियमितता होने के बावजूद दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बचाती है, या अभियोजन के लिए किसी भी मंजूरी में जब तक कि राय [2020] 9 एस. सी. आर.

4. मुकेश सिंह की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अजय गर्ग ने अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री सुशील कुमार जैन द्वारा की गई दलीलों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त दलीलें दी हैं। 4.1 भगवान सिंह (ऊपर) से लेकर वरिंदर कुमार (ऊपर) के मामले में हाल के फैसले तक, इस अदालत का दृढ़ विचार है कि शिकायतकर्ता/सूचना देने वाला और जांचकर्ता एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यही कानून के सदियों पुराने सिद्धांतों के अनुरूप है कि "नेमो डेबेटेसेजुडेक्स इन कौसा प्रोपोरियासुआ" (कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है)

अपने स्वयं के मामले में एक न्यायाधीश) और यह कि "न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि किया गया है";

4.2 कानून के उपरोक्त सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कसौटी हैं और कानूनी प्रणालियों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच और निर्णय को बनाए रखने के लिए एक उपयोगी उपकरण है।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]4.3 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से अधिनियम के 41,42,43,52 (3) और 53 पर यह आवश्यक है कि अधिकारी ने छापा मारा, जब्त किया और गिरफ्तार किया जो शिकायतकर्ता हो सकता है।

मामले के अन्वेषक से अलग;

4.4 आपराधिक कार्यवाही दूषित हो जाती है यदि शिकायतकर्ता/मंत्री और मामले का अन्वेषक एक ही व्यक्ति है

पीछे हटने के कारणः

क) यदि शिकायतकर्ता/मुखबिर और अन्वेषक समान हैं।

व्यक्तियों, यह पूर्वाग्रह के खिलाफ शासन के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक हिस्सा है और मौलिक में शामिल है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित अधिकार। इस संबंध में वह मोहन लाल (सुप्रा) के पैरा 14,18 और 31 पर भरोसा कर रहे हैं।

ख) एन. डी. पी. एस. जैसे मामले में जहां इसका उल्टा बोझ है धारा 35,54,66 और 68 में सबूत, अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का बोझ होगा कि मामले में आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

ग) ऐसे मामले में, शिकायतकर्ता हमेशा आरोपी (जो सामान्य व्यक्ति है) के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने में रुचि रखेगा। व्यवहार)। अभियुक्त के खिलाफ उसका व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होगा और जाँच में कोई निष्पक्षता नहीं होगी। वह उस पर भरोसा करता है

मेघा सिंह (सुप्रा), भगवान सिंह (सुप्रा), मोहन लाल

(ऊपर)। घ) इस माननीय न्यायालय ने लगातार इसे अभियुक्तों के गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है और इसे गंभीर दुर्बलता घोषित किया है जो विश्वसनीयता पर प्रतिबिंबित होता है।

अभियोजन पक्ष का मामला।

मामला और पूरी आपराधिक कार्यवाही दूषित हो जाती है। च) यदि दोनों समान हैं तो अभियुक्त शिकायतकर्ता/मुखबिर और जाँच अधिकारी से अलग-अलग जिरह करने के अपने मूल्यवान अधिकारों से वंचित रहेगा। इसके अलावा, आरोपी भी [2020] 9 एस. सी. आर. होगा।

धारा 154 या 155 Cr.P.C के तहत दर्ज की गई जानकारी और गवाहों के पिछले बयान, जो एक पुलिस अधिकारी हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और 157 और धारा 152 Cr.P.C के प्रावधान के तहत दर्ज शिकायत।
छ) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना का सार्थक अध्ययन, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह भी इंगित करता है कि प्रवर्तक/शिकायतकर्ता/छापा मारा गया है।

अधिकारी उक्त मामले की जांच नहीं कर सकते।

ज) पुलिस/किसी अन्य एजेंसी के लिए शिकायतकर्ता/मुखबिर द्वारा जांच कराने की कोई मजबूरी नहीं है और दूसरी ओर यह गलत निहितार्थ का एक आसान उपकरण हो सकता है।
(i) जाँच अधिकारी को शिकायतकर्ता से ऊँचे स्थान पर नहीं रखा जा सकता है और शिकायतकर्ता स्वयं जाँच की एकमात्र एजेंसी नहीं हो सकती है। जांच का पूरा आधार, जिसके आधार पर अपीलार्थी पर मुकदमा चलाया गया है, अनुचित पाया गया है और आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, ऐसी अत्यधिक दुर्बलता के आधार पर दोषसिद्धि और सजा।

उपरोक्त जांच को कानून की नजर में और तदनुसार ऐसी जांच के आधार पर पूरी कार्यवाही को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य है।

5. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:

5.1 धारा 2 (एच) "जाँच" को परिभाषित करती है। " जाँच "में साक्ष्य के संग्रह के लिए Cr.P.C के तहत सभी कार्यवाही शामिल हैं।

एक पुलिस अधिकारी द्वारा या एक मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है जो इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत होता है। धारा 2 (ओ) "पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी" को परिभाषित करती है और इसमें शामिल है जब पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी स्टेशन-हाउस से अनुपस्थित होता है या बीमारी या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो पुलिस अधिकारी उपस्थित होता है।

स्टेशन-हाउस में जो ऐसे अधिकारी के बाद के पद पर है और एक कांस्टेबल के पद से ऊपर है या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो कोई अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि Cr.P.C. के तहत आपराधिक कानून या तो अध्याय XII के तहत लागू किया जाता है जो पुलिस अधिकारियों को दी गई जानकारी से संबंधित है; या अध्याय XV जो शिकायतों से संबंधित है

मजिस्ट्रेट। वर्तमान मामला अध्याय XII, Cr.P.C से संबंधित है जहां अपराध का सूचना देने वाला एक पुलिस अधिकारी है; मुकेश सिंह वी.

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

मजिस्ट्रेट। इस प्रकार, जहां धारा 154 Cr.P.C के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक पुलिस अधिकारी के कहने पर पंजीकृत, धारा 156 Cr.P.C के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को इसकी जांच करने के लिए कोई रोक नहीं है। इसके अलावा, ऐसे जांच अधिकारी की क्षमता पर किसी भी कार्यवाही में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

5.4 धारा 157 Cr.P.C में प्रावधान है कि यदि कुछ जानकारी प्राप्त होती है या अन्यथा, तो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास किसी अपराध के होने पर संदेह करने का कारण होता है, जिसे वह धारा के तहत सशक्त है।

156 जांच करने के लिए संहिता के, वह व्यक्तिगत रूप से मौके पर आगे बढ़ेगा

जाँच करें और यदि आवश्यक हो तो खोज के लिए उपाय करें और

अपराधी की गिरफ्तारी। इस प्रकार, एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी जो स्वयं संज्ञेय अपराध करने की जानकारी प्राप्त करता है

मामले की जांच करने का अधिकार। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार,

Cr.P.C की योजना के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने की जानकारी प्राप्त करने, उसी को दर्ज करने और फिर इसकी जांच करने पर कोई रोक नहीं है।

5.5 <आई. डी. 1.....। संहिता की धारा 460 में कहा गया है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट उक्त धारा में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करता है, जिसके लिए वह सशक्त नहीं है, तो उसकी कार्यवाही [2020] 9 एस. सी. आर.

केवल इस आधार पर अलग नहीं रखा जाएगा। संहिता की धारा 461 में कहा गया है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट उक्त धारा में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करता है, जिसके लिए वह सशक्त नहीं है, तो उसकी कार्यवाही अमान्य हो जाएगी। हालाँकि, इन दोनों प्रावधानों के तहत अवैधता मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है न कि जाँच अधिकारी द्वारा।

5.6 संहिता की धारा 462 में यह प्रावधान है कि कोई निष्कर्ष, वाक्य या

किसी आपराधिक न्यायालय के आदेश को केवल इस आधार पर दरकिनार कर दिया जाएगा कि जांच, मुकदमा या अन्य कार्यवाही गलत सत्रों में हुई थी।

डिवीजन, जिला, उप-डिवीजन या अन्य स्थानीय क्षेत्र, जब तक कि यह प्रतीत न हो कि ऐसी त्रुटि ने वास्तव में न्याय की विफलता का कारण बना है। संहिता की धारा 463 में यह प्रावधान है कि भले ही संहिता की धारा 164 के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने में गैर-अनुपालन हो, फिर भी यह स्वीकार्य हो सकता है यदि इस तरह के गैर-अनुपालन ने गुण-दोष के आधार पर आरोपी को उसके बचाव में चोट नहीं पहुंचाई है और उसने विधिवत बयान दर्ज किया है, तो इस तरह के बयान को स्वीकार करें। संहिता की धारा 465 में प्रावधान है कि सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को अपील न्यायालय द्वारा शिकायत, समन, वारंट, घोषणा, आदेश, निर्णय या मुकदमे से पहले या उसके दौरान या इस संहिता के तहत किसी भी जांच या अन्य कार्यवाही में किसी भी त्रुटि या अनियमितता के कारण उलट या बदला नहीं जाएगा।

अभियोजन पक्ष के लिए मंजूरी, जब तक कि उस न्यायालय की राय में, वास्तव में न्याय की विफलता के कारण नहीं हुई है। इस प्रकार, धारा 465 के तहत, संहिता के तहत अन्य कार्यवाहियों में अनियमितता से दोषसिद्धि को वापस नहीं लिया जा सकता है जब तक कि यह न्याय की विफलता का कारण न बने। जाँच में अनियमितता जब तक न्याय की विफलता नहीं दिखाई जाती है तब तक बरी नहीं किया जाएगा;

5.7 इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का चित्रण (ई) जो न्यायालय को यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि आधिकारिक कार्य करता है।

5.8. 1 भगवान सिंह (सुप्रा) के मामले में, अनाज की तस्करी के आरोपी को पकड़ने वाले हेड कांस्टेबल ने इसके तहत एक प्राथमिकी दर्ज की। हेड कांस्टेबल को रिश्वत के रूप में Rs.510/- देने के लिए आई. पी. सी. की धारा 161। हेड कांस्टेबल स्वयं शिकायतकर्ता और आई. ओ. थे। मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। यहां तक कि इस न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि आई. ओ. द्वारा स्वतंत्र मुकेश सिंह बनाम के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

गवाह। कि इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायतकर्ता स्वयं अन्वेषक नहीं हो सकता है। इसलिए, उक्त निर्णय को उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर कहा जा सकता है और इसे कानून का एक पूर्ण सामान्य प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी मामले में शिकायतकर्ता जांचकर्ता नहीं हो सकता है और ऐसे मामले में आरोपी बरी होने का हकदार है।

5.8. 2 मेघा सिंह (उपरोक्त) के मामले में भी किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। हेड कांस्टेबल जिसने आरोपी को गिरफ्तार किया

एक देसी पिस्तौल और कारतुस के साथ शिकायत दर्ज कराई और वह केवल जांच के साथ आगे बढ़ा। उक्त मामले में, यह पाया गया कि सार्वजनिक गवाहों के बयानों में विसंगतियां थीं। इसलिए, इस अदालत ने माना कि पीडब्लू 3-हेड कांस्टेबल स्वयं एक शिकायतकर्ता है

जाँच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था; 5.8. 3 राजंगम (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने मेघा सिंह (ऊपर) के मामले में अपने पहले के फैसले का पालन किया।

5.8. 4 अब जहाँ तक मोहन लाल (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, वरिंदर कुमार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा फिर से उसी पर विचार किया गया और यह विशेष रूप से देखा गया है कि मोहन लाल (उपर्युक्त) में तथ्य वास्तव में अत्यधिक बता रहे थे क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से चूक की गई थी।

चिंतित हैं। यह आगे देखा गया है कि उस पृष्ठभूमि में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस मुद्दे को किसी मामले के तथ्यों पर निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर। पैरा 11 में उक्त निर्णय में आगे यह देखा गया है कि

कानून की व्याख्या करना सर्वोपरि विचार है ताकि यह निष्पक्ष रूप से काम करे, उस मामले के तथ्यों ने यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई कि सभी अपवादों को क्या बनाया जाना चाहिए और उनके लिए क्या प्रावधान किया जाना चाहिए। नक्काशी पर विचार करने की आवश्यकता पर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया।

अपवाद। यह आगे देखा गया है कि अभियुक्तों के व्यक्तिगत अधिकार निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सामाजिक हित भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अपराधी को कानून के दायरे में लाना और समाज में सभी को सही संदेश देने के लिए व्यवस्था-चाहे वह कानून का पालन करने वाला नागरिक हो या संभावित अपराधी। यह आगे देखा गया है कि सामाजिक हित यह आदेश देता है कि मोहन लाल (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को किसी आरोपी द्वारा बरी किए जाने के लिए स्प्रिंग बोर्ड बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, चाहे जांच और अभियोजन के अनुसार अन्य सभी विचार हों, जब उस संबंध में कानून अस्पष्ट था। इसलिए, जैसा कि इस न्यायालय ने वरिंदर कुमार (उपरोक्त) के मामले में कहा है, मामले के तथ्य [2020] 9 एस. सी. आर.

मोहन लाल (उपरोक्त) के मामले स्पष्ट थे और तथ्यों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त बरी होने का हकदार था। 5.9 इसके विपरीत निर्णयों की एक पंक्ति है जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जाँच अधिकारी और शिकायतकर्ता एक ही हैं।

व्यक्ति, जाँच को दूषित नहीं करता है। सुनील कुमार बनर्जी बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। पश्चिम बंगाल राज्य (1980) 3 एस. सी. सी. 304; राज्य बनाम वी. जयपॉल (2004) 5 एससीसी 223; एस. जीवनथम बनाम। राज्य (2004) 5 एस. सी. सी. 230; भास्कर रामप्पा मदार बनाम। कर्नाटक राज्य (2009) 11 एस. सी. सी. 690; विनोद कुमार बनाम. पंजाब राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 220; और सुरेंद्र बनाम। हरियाणा राज्य (2016) 4 एससीसी 617।

इसलिए, यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने इस पर ध्यान देने के बावजूद उक्त प्रश्न के संबंध में एक कठोर और त्वरित नियम निर्धारित करने से इनकार कर दिया

ऐसे निर्णय, जिनमें विशिष्ट तथ्यों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जाँच अधिकारी और शिकायतकर्ता एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते हैं;

5.10 जमुना चौधरी बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना। बिहार राज्य (1974) 3 एससीसी 774; कश्मीरी

देवी वी. दिल्ली प्रशासन। , 1988 सप. एस. सी. सी. 482 और विनय त्यागी बनाम। इरशाद अली (2013) 5 एस. सी. सी. 762, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच अधिकारियों का कर्तव्य केवल ऐसे साक्ष्य के साथ अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करना नहीं है जो अदालत को दोषसिद्धि दर्ज करने में सक्षम बना सके, बल्कि वास्तविक अप्रमाणित सत्य को सामने लाना है।

5.10. 1 विनय त्यागी (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार,

आपराधिक न्यायशास्त्र में "निष्पक्ष और उचित जांच" अभिव्यक्ति का उद्देश्य या महत्व अंततः क्या है? इसका दोहरा उद्देश्य है, पहला, जांच निष्पक्ष, ईमानदार, न्यायपूर्ण और कानून के अनुसार होनी चाहिए, दूसरा, एक निष्पक्ष जांच पर पूरा जोर सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत के समक्ष मामले की सच्चाई को सामने लाने के लिए होना चाहिए। एक बार निष्पक्ष जांच के ये दोहरे प्रतिमान संतुष्ट हो जाने के बाद, अदालत के लिए जांच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता कम से कम होगी, इसे रद्द करने या इसे किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता बहुत कम होगी। निष्पक्ष और जांच के माध्यम से सच्चाई को सामने लाना

कानून अनिवार्य रूप से एक अनुचित, दागी जांच या गलत निहितार्थ के मामलों के आधार को पीछे हटा देगा। इस प्रकार, किसी न्यायालय के लिए यह अपरिहार्य है कि वह जाँच के भाग्य के बारे में एक विशिष्ट आदेश पारित करे। जो उसकी राय में अनुचित, दागी और खोजी सिद्धांतों के तय किए गए सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसलिए, मुकेश सिंह बनाम में न्याय दोष की विफलता।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

जाँच मुक़दमे को तब तक दूषित नहीं करती जब तक कि अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह न हो।

5.10. 2 दूसरी अवधारणा न्याय की विफलता और अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह के संबंध में है। इसमें यह स्पष्ट करने के लिए अभियुक्त पर बोझ को स्थानांतरित करना शामिल है कि कैसे प्रक्रिया और तथ्यात्मक परिस्थितियों/प्रतिकूल कारकों के परिणामस्वरूप जांच और विशेष रूप से उसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। एच. एन. रिशबुद बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। दिल्ली राज्य 1955 (1) एससीआर 1150 ; निरंजन सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 1956 एससीआर 734; परमजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2007) 13 एस. सी. सी. 530; रेखा बनाम की स्थिति

महाराष्ट्र (2010) 15 एस. सी. सी. 725 और भारत संघ बनाम। टी. नाथामुनी (2014) 16 एससीसी 285;

5.10. 3 उपरोक्त दोहरे परीक्षणों के आलोक में, यह प्रार्थना की जाती है कि एक लचीला नियम निर्धारित किया जाए जिसमें निष्पक्ष जांच का अधिकार एक अधिकार नहीं बन जाता है। उन मामलों में बरी करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड जहां जांच उचित है और वैधानिक सिद्धांतों के अनुसार है।

6.1 इस न्यायालय ने मोहन लाल (उपरोक्त) मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत उप-मौन कार्यवाही की, जिसके तहत जांच अधिकारी द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के होने के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर जांच की जा सकती है; भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ई) को नजरअंदाज कर दिया, जो न्यायालय को यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं; एच. एन. के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत की अवहेलना की। रिशबुद (ऊपर दिया गया है) कि जाँच में अवैधता का संज्ञान पर कोई सीधा असर नहीं है और एक वैध पुलिस रिपोर्ट आवश्यक रूप से न्यायालय के लिए संज्ञान लेने का आधार नहीं है; Cr.P.C की धारा 465 के साथ व्यवहार नहीं किया। जिसके तहत कोई भी अवैधता, चाहे वह मुकदमे से पहले हो या उसके दौरान या किसी अन्य कार्यवाही में, किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को उलटने को उचित नहीं ठहराएगी जब तक कि न्याय की विफलता का कारण नहीं बनता है; इस नियम की अनदेखी की गई कि यदि किसी अवैधता पर आपत्ति सही स्तर पर नहीं उठाई जाती है तो उसे माफ कर दिया जाएगा; इस सिद्धांत पर विचार नहीं किया कि दुर्भावना को स्थापित किया जाना चाहिए और अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और यह कि दुर्भावना गौण महत्व की है यदि - अन्यथा परीक्षण त्रुटिहीन साक्ष्य का खुलासा करता है; और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना और विपरीत बोझ के सिद्धांत दोनों का गलत अर्थ लगाया; और इस सिद्धांत पर ध्यान देने में विफल रहा कि जांच विशेष रूप से [2020] 9 एस. सी. आर. है।

अधिनियम के तहत जांच एजेंसी के लिए आरक्षित, जांच एजेंसी और न्यायपालिका के कार्य पूरक हैं और अतिव्यापी नहीं हैं और हस्तक्षेप केवल शक्ति के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों में किया जाएगा। 6.2 वरिंदर कुमार (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि मोहन लाल (ऊपर) में, न्यायालय का ध्यान भी नहीं था

6.3 दिनांकित संदर्भ आदेश 17.01.2019 सही ढंग से दर्ज करता है कि किसी दिए गए मामले में, जहां शिकायतकर्ता ने स्वयं आचरण किया था। जाँच, अभिलेख पर साक्ष्य का आकलन करते समय मामले के ऐसे पहलू को निश्चित रूप से उचित महत्व दिया जा सकता है, लेकिन यह कहना पूरी तरह से अलग बात होगी कि इस तरह के उल्लंघन के लिए मुकदमे को ही दूषित किया जाएगा। लेकिन मोहन लाल (सुप्रा) ने फैसला सुनाया है कि उस मामले में मुकदमा ही दूषित हो जाएगा।

6.4 मोहन लाल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय में Cr.P.C की धारा 157 पर विचार नहीं किया गया है। धारा 157 के तहत शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक होगा जब प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि क़ानून में ही सुरक्षा उपाय हैं और धारा 157 को Cr.P.C की धारा 158 और 159 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ;

6.5 एक सूचना रिपोर्ट आपराधिक जांच को गति देने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती नहीं है और एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी "अन्यथा" भी ऐसा कर सकता है। इस प्रकार, जांच शुरू हो सकती है यदि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के बारे में अपनी जानकारी या विश्वसनीय अनौपचारिक खुफिया जानकारी के माध्यम से कब्जे में है। सम्राट बनाम के मामले में रिलायंस को प्रिवी काउंसिल के फैसले पर रखा गया है। ख्वाजा नजीर अहमद, ए. आई. आर. 1945 पी. सी. 18; मुकेश सिंह बनाम।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

6.6 वी. जयपॉल (उपरोक्त) के मामले में, जिसमें पुलिस निरीक्षक ने स्वयं जानकारी प्राप्त करने पर प्राथमिकी तैयार की।

प्रत्यर्थी भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त हो गया और स्वयं जाँच करने के लिए आगे बढ़ा, अंततः एक आरोप पत्र दायर किया। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने इस पर कार्यवाही को रद्द कर दिया था

इस आधार पर कि जाँच उसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई थी जिसने मामला दर्ज किया था। वी. जयपॉल (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने भगवान सिंह (ऊपर) और मेघा सिंह (ऊपर) के मामलों को अलग किया, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी नहीं हो सकता है।

6.6. 1 भास्कर रामप्पा मदार (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने यह भी माना कि भगवान सिंह (ऊपर) के निर्णय और

मेघा सिंह (ऊपर) को अपने तथ्यों तक ही सीमित रहना था।

6.6. 2 वी. जयपॉल के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

(ऊपर) को हार्डिप सिंह बनाम के मामले में मंजूरी दी गई थी। पंजाब राज्य (2008) 8 एस. सी. सी. 557 जिसमें जांच अधिकारी वह था जिसने अफीम जब्त की थी जिसके कब्जे के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था;

6.6. 3 यह इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम के मामले में अभिनिर्धारित किया जाता है।

रामचंद्र (2005) 5 एस. सी. सी. 151, पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के सवाल को स्थापित किया जाना चाहिए न कि अनुमान लगाया जाना चाहिए। रिलायंस को भारत संघ बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी रखा गया है। विपन कुमार जैन (2005) 9 एस. सी. सी. 579;

6.7 यहाँ तक कि विपरीत बोझ के मामलों में भी, अनुमान काम कर सकता है।

6.8 उल्टा बोझ न केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों में मौजूद है, बल्कि यह एक हिस्सा भी है। आई. पी. सी. की धारा 304 बी और आई. पी. सी. के तहत सभी अपराधों की जांच Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार की जानी है और इसके परिणामस्वरूप सूचना देने वाला स्वयं धारा 157 Cr.P.C के तहत उक्त अपराधों की जांच कर सकता है। दूसरे शब्दों में, कानून इस प्रथा को अस्वीकार या अस्वीकार नहीं करता है। ये सुरक्षा तब भी बनी रहेगी जब शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है; [2020] 9 एस. सी. आर.

6.9 कि इस न्यायालय ने मोहन लाल (उपरोक्त) के मामले में भी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना पर विचार नहीं किया;

6.10 अपराध की जाँच विशेष रूप से पुलिस के लिए आरक्षित एक क्षेत्र है जिसकी शक्तियाँ तब तक निरंकुश रहती हैं जब तक वे बनी रहती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के साथ शिकायत। यह है।

संहिता द्वारा और इस सिद्धांत की अवहेलना करता है कि न्यायपालिका और जांच एजेंसी के कार्य पूरक हैं और अतिव्यापी नहीं हैं और प्रत्येक को सीमांकित क्षेत्र में अपने कार्य का प्रयोग करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक उपयुक्त मामले में हस्तक्षेप के अधीन है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी विशेष मामले के तथ्य पूर्वाग्रह नहीं दिखाते हैं, तब तक कोई भी नियम न्यायिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है कि किसी भी मामले में शिकायतकर्ता जांच अधिकारी नहीं हो सकता है।

स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा जाँच को रोकने वाली संहिता में निषेध, इस नियम का वैधानिक समावेश है कि उन सार्वजनिक अधिकारियों को श्रेय दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपने अधिकार की सीमा में काम किया है। कानून यह है कि जाँच की अयोग्यता का न्यायालय की क्षमता से कोई संबंध नहीं है। और संहिता का उद्देश्य यह है कि न्याय की विफलता के मामलों को न्यायालयों के विवेक और सतर्कता पर छोड़ दिया जाना चाहिए; इसलिए, मोहन लाल (उपरोक्त) के पैराग्राफ 25 में निहित एक सामान्य नियम का निर्माण हैः गलत;

7. जवाब में, अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन ने कहा कि भरोसा रखा गया है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के लिए धारा 157 Cr.P.C पर है गलत जगह पर रखा गया। एन. डी. पी. एस. अधिनियम एक विशेष कानून है और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कार्यवाही पर Cr.P.C के सभी प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं। कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना, एक विशेष अधिनियम होने के नाते, धारा 157 Cr.P.C को इस हद तक ओवरराइड करती है कि व्यक्तिगत मामलों पर संज्ञान लिया जा सके।

उस आधार पर सूचना और कार्यवाही, विशेष रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान।

8. जिस प्रश्न को वृहत पीठ को भेजा जाता है, वह यह है कि क्या मामले में जांच सूचना देने वाले/पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है।

स्वयं शिकायतकर्ता कौन है, मुकदमा दूषित हो जाता है और ऐसी स्थिति में आरोपी बरी होने का हकदार है?

मुकेश सिंह वी. स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

8.1 निर्दिष्ट प्रश्न का निर्णय करते समय, एक तरफ इस न्यायालय के पहले के कुछ निर्णयों में यह विचार रखा गया था कि जांच के मामले में शिकायत में अधिकारी एक ही व्यक्ति होने के कारण, मुकदमा दूषित हो जाता है और आरोपी बरी होने का हकदार होता है, और दूसरी ओर विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले को संदर्भित करने और विस्तार से विचार करने की आवश्यकता होती है।

8.1. 1 अभियुक्त की ओर से पहला निर्णय भगवान सिंह (उपरोक्त) के मामले में लिया गया है।

बाद में इसका पालन किया गया और यहां तक कि बाद के निर्णयों पर भी विचार किया गया। यह सच है कि भगवान सिंह (उपरोक्त) के मामले में, इस अदालत ने यह कहते हुए आरोपी को बरी कर दिया कि शिकायतकर्ता स्वयं जांचकर्ता नहीं हो सकता है। हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस मामले में जांच एक हेड कांस्टेबल द्वारा की गई थी, जो खुद वह व्यक्ति था जिसे रिश्वत की पेशकश की गई थी और जिसे रिश्वत की पेशकश की गई थी।

मुखबिर या शिकायतकर्ता के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। यह ध्यान दिया गया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पूरी तरह से हेड कांस्टेबल-राम सिंह और चार अन्य पुलिस कांस्टेबलों की गवाही पर आधारित है। यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा रिश्वत की पेशकश के खिलाफ गवाही देने के लिए एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं था। यह देखा गया कि हेड कांस्टेबल-राम सिंह ने स्वतंत्र होने के लिए कोई प्रयास नहीं किया

आदरणीय गवाह जिनकी उपस्थिति में जब्ती की जा सकती थी। इस अदालत ने यह भी देखा कि हेड कांस्टेबल कुछ स्वतंत्र सम्मानित गवाहों को प्राप्त करने के लिए अपने साथ आए चार पुलिस कांस्टेबलों में से एक को आसानी से एक छोटे से गांव में भेज सकता था, अगर किसी भी कारण से यह संभव नहीं था, तो वह आरोपी और एक दूसरे को गाड़ी के साथ पुलिस स्टेशन ले जा सकता था और फिर स्वतंत्र सम्मानित पंच गवाहों की उपस्थिति में एक जब्ती ज्ञापन बना सकता था। यह अदालत ने धारा 342 Cr.P.C के तहत अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान से यह भी देखा कि घटना के समय कुछ अन्य स्वतंत्र गवाह मौजूद थे और इसलिए इस अदालत ने देखा कि उनमें से किसी को भी जब्ती ज्ञापन देखने के लिए कहा जा सकता था। इसके बाद, साक्ष्य की सराहना पर, इस न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा हेड कांस्टेबल को रिश्वत की पेशकश की कहानी में अंतर्निहित असंभवता पाई। इसके बाद, इस न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय पैरा 7 में उल्लिखित परिस्थितियों पर ध्यान देने में विफल रहे जो अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन मामले पर काफी संदेह पैदा करते हैं। इस न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्य में अभियुक्त के अपराध के संबंध में उचित संदेह शामिल नहीं है। यह भी कहा गया कि चूंकि अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन मामले को उचित [2020] 9 एस. सी. आर. से मुक्त नहीं कहा जा सकता है।

सन्देह, अभियुक्त बरी होने का हकदार है। इसलिए, तथ्यों पर और अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार करते हुए अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह किया गया और विशेष रूप से किसी भी स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति में, हालांकि स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे, इस न्यायालय ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। इसलिए, भगवान सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को अपने स्वयं के तथ्यों पर एक निर्णय कहा जा सकता है और इसे कानून का एक पूर्ण प्रस्ताव रखने वाला नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी मामले में सूचना देने वाला/शिकायतकर्ता जांचकर्ता नहीं हो सकता है और यह कि उन सभी मामलों में जहां शिकायतकर्ता/सूचना देने वाला और जांच अधिकारी समान हैं, पूरे मुकदमे को दूषित कर दिया जाता है और आरोपी बरी होने का हकदार है।

शिकायत दर्ज कराने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की गई थी निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच के लिए अनुकूल नहीं है। इस मामले में आरोपी को कांस्टेबल पीडब्लू2 और पीडब्लू3 ने एक पिस्तौल के साथ पकड़ लिया और जिंदा बचा लिया।

अभियुक्त के पास से बिना किसी लाइसेंस के कारतुस दर्ज किए गए। पीडब्लू3 की शिकायत पर कि एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तथ्यों पर, और अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर, पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य में बरामद किए गए गोलियों की संख्या और उस स्थान के बारे में विसंगति पाई गई जहां से पिस्तौल बरामद की गई थी। किसी अन्य स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई। पैराग्राफ 4 में, इसे निम्नलिखित रूप में देखा और माना गया है:

" 4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पीडब्लू 2 और 3 के बयानों में विसंगति है और किसी भी स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में ऐसी विसंगति अभियोजन मामले की विश्वसनीयता के बारे में विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। हमने इस मामले में एक और परेशान करने वाली विशेषता भी देखी है। पीडब्लू 3, हेड कांस्टेबल सिरी चंद ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके द्वारा की जा रही तलाशी पर आरोपी के पास से एक पिस्तौल और गोलियां बरामद की गईं। उनकी शिकायत पर एक औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और मामला शुरू किया गया। शिकायतकर्ता होने के नाते उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था मामले की जांच। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वह न केवल मामले में शिकायतकर्ता थे, बल्कि उन्होंने जांच जारी रखी और धारा 161 के तहत गवाहों से पूछताछ की। कम से कम कहने के लिए, इस तरह की प्रथा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच पर संदेह करने का कोई अवसर न हो। " मुकेश सिंह वी.

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता पर संदेह हुआ और उसके बाद यह नोट किया गया कि ऐसे मामले में हेड कांस्टेबल, जो स्वयं शिकायतकर्ता था, को ऐसा नहीं करना चाहिए था जाँच जारी रखी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस निर्णय में भी, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का एक पूर्ण प्रस्ताव है कि प्रत्येक मामले में जहां शिकायतकर्ता स्वयं जांच अधिकारी है, मुकदमे को दूषित किया जाता है और आरोपी बरी होने का हकदार है।

इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दोनों में से किसी में भी

नीचे के साथ। 8.1. 3 अगला निर्णय जिस पर अभियुक्त की ओर से भरोसा किया गया है, वह राजंगम (सुप्रा) के मामले में निर्णय है। इसमें

इस मामले में, इस अदालत ने मेघा सिंह (उपरोक्त) के मामले में फैसले के बाद ही आरोपी को बरी कर दिया। इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में इस मुद्दे पर आगे कोई चर्चा नहीं की गई है।

8.1. 4 मोहन लाल (उपरोक्त) के मामले में, इसके दो अलग-अलग न्यायाधीश पीठों द्वारा व्यक्त परस्पर विरोधी विचारों पर ध्यान देने के बाद

न्यायालय, भगवान सिंह (ऊपर) और मेघा सिंह (ऊपर) के मामलों में एक और पंजाब राज्य के मामलों में अन्य बनाम। बलदेव सिंह (1999) 6 एस. सी. सी. 172; भास्कर रामप्पा मदार (ऊपर); और सुरेंद्र (ऊपर), इसके बाद इस अदालत ने टिप्पणी की और कहा कि एक ऐसे मामले में जहां सूचना देने वाला/शिकायतकर्ता और जांचकर्ता समान हैं, मुकदमा दूषित है और आरोपी बरी होने का हकदार है। तथापि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके बाद मोहन लाल (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय ही वरिंदर कुमार (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया, जिस पर मोहन लाल (ऊपर) के मामले में दो माननीय न्यायाधीश भी थे और यह देखा गया है कि मोहन लाल (ऊपर) में तथ्य वास्तव में अत्यधिक बता रहे थे क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से चूक का संबंध था और उस पृष्ठभूमि में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस मुद्दे को किसी मामले के तथ्यों पर निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अभियुक्त के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर निहित था। इसके बाद वरिंदर कुमार (ऊपर) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मोहन लाल (ऊपर) के मामले में निर्णय [2020] 9 एस. सी. आर. लागू होगा।

संभावित रूप से और लंबित आपराधिक अभियोजनों, मुकदमों और अपीलों को प्रभावित नहीं करेगा और वे मामले के व्यक्तिगत तथ्यों द्वारा नियंत्रित होंगे। इसके बाद गुण-दोष के आधार पर और इस तथ्य के बावजूद कि उस मामले में भी सूचना देने वाला/शिकायतकर्ता और जांचकर्ता एक ही थे, इस अदालत ने दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

इसलिए, वरिंदर कुमार (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में कि मोहन लाल (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून संभावित रूप से लागू होगा और मोहन लाल (ऊपर) में निर्धारित कानून से पहले लंबित आपराधिक अभियोजनों, मुकदमों और अपीलों को प्रभावित नहीं करेगा, जिसका अर्थ है कि वही संभावित रूप से लागू होगा, फिर भी इस न्यायालय को इस न्यायालय को भेजे गए मुद्दे पर अपने गुण-दोष पर विचार करना होगा। इस पर विचार करते हुए

मोहन लाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का पूरा निर्णय, ऐसा प्रतीत होता है

कि इस मामले में भी न्यायालय ने Cr.P.C के प्रासंगिक प्रावधानों पर विस्तार से विचार नहीं किया, जिसके तहत जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा सकती है, विशेष रूप से धारा 154,156 और 157 और अन्य प्रावधान, अर्थात् धारा 465 Cr.P.C और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114। यहां तक कि उक्त निर्णय में भी, इस न्यायालय ने पूर्वाग्रह के पहलू को स्थापित करने और अभियुक्त द्वारा साबित करने पर विचार नहीं किया, यदि सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता द्वारा जांच की गई है, जो अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से जाँच किए जाने वाले गवाहों में से एक होगा। यह न्यायालय

8.2 आइए अब हम इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले निर्णयों पर विचार करें कि उस मामले में भी जहां शिकायतकर्ता ने स्वयं जांच की थी, मुकदमा दूषित नहीं होता है। 8.2. 1 वी. जयपॉल (उपरोक्त) के मामले में, Cr.P.C के तहत जांच की पूरी योजना पर विचार करने के बाद, यह माना जाता है कि उसी पुलिस अधिकारी द्वारा जांच, जिसने प्राथमिकी दर्ज की है, कानून द्वारा वर्जित नहीं है। यह आगे देखा गया है कि इस तरह की जांच केवल जांच अधिकारी की ओर से पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना के आधार पर की जा सकती है और पूर्वाग्रह का सवाल तथ्यों पर निर्भर करेगा और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। यह भी देखा गया है कि एक व्यापक और अयोग्य प्रस्ताव के तहत कानून बनाना उचित नहीं है कि इस तरह की जांच

अनिवार्य रूप से अनुचित या पक्षपाती होगा। इस फैसले में भगवान सिंह (ऊपर) और मेघा सिंह के मामलों में इस अदालत के फैसले (ऊपर) को अभियुक्त की ओर से सेवा में लगाया गया था, हालांकि मुकेश सिंह बनाम।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

इस न्यायालय ने कहा कि दोनों निर्णय अपने-अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर हैं और यह प्रस्ताव नहीं देते हैं कि एक पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी व्यक्ति को अपराध से जोड़ने के लिए कुछ आपत्तिजनक सामग्री पाता है, आगे की जांच नहीं करेगा यदि प्राथमिकी उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी। इस निर्णय में, इस न्यायालय ने धारा 154,156 और 157 की योजना और यू. पी. बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी विचार किया। भगवंत किशोर जोशी, आकाशवाणी 1964 एससी 221 (पैरा।

8) . कि इसके बाद यह न्यायालय अभियुक्त की ओर से इस निवेदन से सहमत नहीं था कि चूंकि जांच उस सूचनादाता द्वारा की गई थी जिसने स्वयं अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसलिए मुकदमा दूषित हो जाता है। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी करने के आदेश को केवल इस आधार पर दरकिनार करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि की कि वही पुलिस अधिकारी जिसने पहली जानकारी दर्ज करके मामला दर्ज किया था, उसे मामले की जांच नहीं करनी चाहिए थी और यह कि उसने ही अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया था। वी. जयपॉल (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 4. हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है और इसका निष्कर्ष कानूनी रूप से अस्थिर है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलार्थी (पुलिस निरीक्षक, सतर्कता) को जाँच करने से रोकता हो। तथ्य यह है कि उक्त पुलिस अधिकारी ने उसे मिली जानकारी के आधार पर प्राथमिकी तैयार की

और संदिग्ध अपराध को पंजीकृत करना, हमारे विचार में, उसे संज्ञेय अपराध की जांच करने से अयोग्य नहीं ठहराता है। कुछ स्रोतों से प्राप्त जानकारी से प्रेरित संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए उठाया गया कदम संहिता की धारा 154 से 157 या संहिता के किसी अन्य प्रावधान में निहित प्रावधानों के दायरे से बाहर नहीं है। धारा 154,156 और 157 की योजना को यू. पी. राज्य बनाम में न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायाधीश सुब्बा राव द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया गया था।

भगवंत किशोर जोशीः (एयर पी। 223, पैरा 8)।

" संहिता की धारा 154 किसी प्रभारी अधिकारी द्वारा मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त जानकारी को दर्ज करने का तरीका निर्धारित करती है।

संज्ञेय अपराध करने के संबंध में एक पुलिस थाना। इसकी धारा 156 ऐसे अधिकारी को उसमें निर्धारित किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत करती है। हालांकि आम तौर पर जांच [2020] 9 एस. सी. आर. द्वारा प्राप्त जानकारी पर की जाती है।

एक पुलिस अधिकारी, सूचना की प्राप्ति एक शर्त नहीं है

जाँच के लिए पूर्ववर्ती। धारा 157 ऐसी जांच के मामले में प्रक्रिया निर्धारित करती है जिसे या तो सूचना पर या अन्यथा शुरू किया जा सकता है। उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी सूचना पर या अन्यथा जांच शुरू कर सकता है।

6. हालाँकि ऐसा कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द कर दिया, वह यह था कि उसी अधिकारी द्वारा की गई जाँच, जिसने एफ़. आई. आर. दर्ज की थी, आरोपी को प्रभावित करेगी क्योंकि जाँच अधिकारी से उम्मीद नहीं की जा सकती है।

एक जांच का आश्वासन दिया और इसलिए उन्होंने जांच करने का मन बना लिया। एफ. आई. आर. तैयार करने की औपचारिकता जिसमें वह अपराध के संदिग्ध अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करने और फिर अपराध दर्ज करने के बाद जांच शुरू करने के तथ्य को दर्ज करता है, किसी भी तर्क की झलक से, पक्षपात या समान कारक के आधार पर जांच को दूषित नहीं करता है। अगर वजह उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन को रद्द करने के लिए एक आधार हो सकता है, पुलिस अधिकारियों को प्रदान की गई जांच की शक्तियों को बिना किसी कारण के अनुचित रूप से बाधित किया जाएगा। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के सामान्य क्रम में पुलिस अधिकारियों द्वारा जो किए जाने की उम्मीद की जाती है, वह तब हमले के लिए असुरक्षित होगा।

7. इस न्यायालय के दो निर्णय हैं जिनका समर्थन किया गया था

इस मामले में और द्वारा निर्दिष्ट कुछ अन्य मामलों में

उच्च न्यायालय। हम इन दोनों निर्णयों का कुछ विस्तार से उल्लेख करना चाहेंगे। पहला मामला भगवान सिंह बनाम का है।

स्टेट ऑफ केश सिंह v. स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

कथित तौर पर बनाया गया था, मुद्रा नोटों को जब्त कर लिया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दी। इसके बाद उन्होंने खुद जांच शुरू की। लेकिन, बाद में, जब उनके संज्ञान में आया कि वह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं थे, तो उन्होंने कागजात पुलिस उपाधीक्षक को भेज दिए। इसके बाद डीएसपी ने मामले की फिर से जांच की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। हेड कॉन्सटेबल और उनके साथ आने वाले कॉन्सटेबल उस मामले में एकमात्र गवाह थे। इस न्यायालय ने कई परिस्थितियाँ पाई जो हेड कांस्टेबल और उनके सहयोगियों के बयान की सत्यता पर संदेह पैदा करती हैं। इस अदालत ने कहा कि "पूरी कहानी अप्राकृतिक लगती है"। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, इस न्यायालय ने "मामले की एक परेशान करने वाली विशेषता" का उल्लेख किया और यह बताया गया कि (एस. सी. सी पी. 18, पैरा 5) " हेड कांस्टेबल राम सिंह वह व्यक्ति था जिसे रिश्वत की पेशकश कथित रूप से अपीलार्थी द्वारा की गई थी और वह सूचना देने वाला या शिकायतकर्ता था जिसने अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। यह समझना मुश्किल है कि इन परिस्थितियों में हेड कांस्टेबल राम सिंह कैसे जांच कर सकते हैं.. यह एक दुर्बलता है जो अभियोजन मामले की विश्वसनीयता पर प्रतिबिंबित करने के लिए बाध्य है।

अनुष्ठान। अपराध स्वयं हेड कांस्टेबल की ओर निर्देशित किया गया था जिसके कारण उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसकी उम्मीद करना लगभग असंभव है।

हेड कांस्टेबल से एक उद्देश्यपूर्ण और अविभाजित जांच, जिसे अपने स्वयं के संस्करण की जांच करने के लिए बुलाया जाता है, जिस पर अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से टिका होता है। उन परिस्थितियों में अदालत ने कहा कि उक्त दुर्बलता "अभियोजन मामले की विश्वसनीयता पर प्रतिबिंबित करने के लिए बाध्य है"। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वर्तमान मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं और उसमें निर्धारित आदेश इस मामले के तथ्यों में फिट नहीं बैठते हैं।

10. मेघा सिंह मामले पीडब्लू 3 में, हेड कांस्टेबल को [2020] 9 एस. सी. आर. के व्यक्ति की तलाश में एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतुस मिले।

अभियुक्त। फिर, उन्होंने वस्तुओं को जब्त कर लिया, वसूली की तैयारी की ज्ञापन और एक "रक्का" जिसके आधार पर पुलिस के एस. आई. द्वारा एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। हालाँकि, पीडब्लू 3, स्वयं हेड कांस्टेबल, अस्पष्ट कारणों से, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत गवाहों के बयानों की जांच और रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़े। अभियोजन पक्ष के मामले के आधार को हेड कांस्टेबल द्वारा साबित करने की मांग की गई थी। शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और टाडा अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में, इस अदालत ने पाया कि पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य असंगत और अविश्वसनीय थे और स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में, अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अंत में, अदालत ने "मामले में एक और परेशान करने वाली विशेषता" का उल्लेख किया। न्यायालय ने तब टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 711, पैरा 4)

" पीडब्लू 3 सिरी चंद, हेड कांस्टेबल ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके द्वारा की जा रही तलाशी पर आरोपी के पास से एक पिस्तौल और गोलियां बरामद की गईं। उनकी शिकायत पर एक औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और मामला शुरू किया गया। शिकायतकर्ता होने के नाते उन्हें मामले की जांच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वह न केवल मामले में शिकायतकर्ता थे, बल्कि उन्होंने जांच जारी रखी और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत गवाहों से पूछताछ की। कम से कम कहने के लिए, इस तरह की प्रथा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच पर संदेह करने का कोई अवसर न हो।

12. पहली बार में, ऊपर उद्धृत टिप्पणियाँ संकेत दे सकती हैं

यह धारणा कि न्यायालय ने एक प्रस्ताव रखा है कि एक पुलिस अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी व्यक्ति को अपराध से जोड़ने के लिए कुछ आपत्तिजनक सामग्री पाता है, आगे की जांच नहीं करेगा यदि प्राथमिकी उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी। के गहन विश्लेषण पर

निर्णय, हमें नहीं लगता कि उस मामले में ऐसा कोई व्यापक प्रस्ताव रखा गया था। साक्ष्य की सराहना करते हुए मुख्य गवाह अर्थात हेड कांस्टेबल (पीडब्लू 3), इस न्यायालय ने इस अतिरिक्त कारक का उल्लेख किया, अर्थात् हेड कांस्टेबल जांचकर्ता निकला। वास्तव में, कोई स्पष्ट कारण नहीं था कि क्यों

हेड कांस्टेबल प्राथमिकी दर्ज करने वाले उप-निरीक्षक को दरकिनार कर मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़े। में वास्तविक स्थिति

वर्तमान मामला पूरी तरह से अलग है। अपीलार्थी पुलिस निरीक्षक, कुछ स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के बाद, मुकेश सिंह बनाम के पास गया।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

जाँच करें और अपराध का पता लगाएं। ऐसा करने से पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया था

संदिग्ध अपराधों की व्यक्तिगत जानकारी है और न ही उसे

अपराधों से संबंधित किसी भी कार्रवाई में भाग लें। बिनि।

भूमिका एक अन्वेषक की थी-शुद्ध और सरल। वह यह है कि

इस मामले में स्पष्ट अंतर। इसके अलावा, परीक्षण का सवाल

किसी भी गवाह के साक्ष्य की सत्यता, जैसा कि मेघा में किया गया था

तत्काल मामले में सिंह का मामला सामने नहीं आता है क्योंकि मुकदमा अभी तक नहीं चला है। हो जाता है। उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को भी रद्द कर दिया है

मुकदमा शुरू होने से पहले।

13. किसी भी कोण से देखने पर, हम इस प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं देखते हैं

पुलिस निरीक्षक (अपीलार्थी) द्वारा शुरू की गई जाँच

और विशेष न्यायालय को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में उनकी कार्रवाई

जज "।

(जोर दिया गया)

8.2. 2 एस. जीवनंथम (ऊपर) के मामले में, हालांकि

जाँच शिकायतकर्ता-स्वयं पुलिस अधिकारी द्वारा की गई थी और यह मेघा सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, कि मामले में सूचना देने वाला/शिकायतकर्ता और

अन्वेषक एक ही है, मुकदमा दूषित है, इस अदालत ने निर्धारित करने से इनकार कर दिया

दोषसिद्धि को दरकिनार कर दें और अभियुक्त को उपरोक्त आधार पर यह देखते हुए बरी कर दें कि अभियुक्त यह दिखाने में विफल रहा कि शिकायतकर्ता-पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जाँच ने स्वयं पूर्वाग्रह पैदा किया है या अभियुक्त के खिलाफ पक्षपातपूर्ण थी। यह ध्यान देने योग्य है कि यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत भी एक मामला था। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 2. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील को सुना। वकील ने

अपीलार्थियों के लिए तर्क दिया कि पीडब्लू 8, निरीक्षक के बाद तलाशी लेते हुए एफ़. आई. आर. तैयार की गई और यह आधार पर थी

पीडब्लू 8 का बयान अपीलार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और यह तर्क दिया जाता है कि पीडब्लू 8 शिकायतकर्ता था और वह स्वयं

मामले की जांच की और यह अवैध है और

मामले की पूरी जांच दूषित है। रिलायंस को रखा गया था

मेघा सिंह बनाम में निर्णय। हरियाणा राज्य जहाँ यह

अदालत ने कहा कि सिपाही, जो वास्तविक था

शिकायतकर्ता ने स्वयं मामले की जांच की थी और यह प्रभावित करता है।

निष्पक्ष जाँच। इस अदालत ने कहा कि हेड कांस्टेबल

जिसने आरोपी को गिरफ्तार किया, तलाशी ली, बरामद किया

पिस्तौल और उसकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई और मामला [2020] 9 एस. सी. आर. था।

शुरू किया और बाद में उन्होंने खुद का बयान दर्ज किया जांच के हिस्से के रूप में सीआरपीसी की धारा 161 के तहत गवाह

निष्पक्ष जाँच। इस निर्णय को बाद में इस द्वारा संदर्भित किया गया था राज्य बनाम में न्यायालय। वी. जयपॉल जिसमें यह देखा गया था किः (एससीसी

पी। 227 , पैरा 6)

" हम यह मानने के लिए कोई सिद्धांत या बाध्यकारी प्राधिकरण नहीं पाते हैं कि सूचना के आधार पर सक्षम पुलिस अधिकारी को नियुक्त करें।

प्राप्त किया, अपने नाम को शामिल करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की

जाँच पर केवल पक्षपात के आधार पर हमला किया जा सकता है या जाँच अधिकारी की ओर से पक्षपात की वास्तविक संभावना।

पक्षपात का सवाल तथ्यों पर निर्भर करेगा और

व्यापक और अयोग्य प्रस्ताव, जिस तरह से यह किया जा चुका है '।

3. तत्काल मामले में, पीडब्लू 8 ने तलाशी ली और बरामद किया

निषिद्ध वस्तु और मामला दर्ज किया गया और वस्तु जब्त की गई

पीडब्लू 8 ने अपनी आधिकारिक क्षमता में जानकारी दी, पंजीकृत किया मामला और अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में बाद में मामले की जांच की और

आरोप पत्र दाखिल किया। उन्हें किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से कोई दिलचस्पी नहीं थी।

मामले में। हम इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं पा रहे हैं। जाँच "।

(जोर दिया गया)

8.2. 3 भास्कर रामप्पा मदार (ऊपर) के मामले में, फिर से

इस न्यायालय ने प्रस्तुतियों पर ही विचार किया और Cr.P.C, विशेष रूप से Cr.P.C की धारा 154,156 के तहत जांच के लिए पूरी योजना पर विचार करने के बाद और भगवान सिंह (ऊपर), मेघा सिंह (ऊपर) और अन्य निर्णयों के मामलों में निर्णयों पर विचार करने के बाद, यह देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जांच करने/शुरू करने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा नहीं है।

यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि भगवान सिंह (ऊपर) और मेघा सिंह (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय निम्नलिखित तथ्यों तक ही सीमित हैं -

उन मामलों में। यह आगे देखा और माना जाता है कि केवल इसलिए कि मुकेश सिंह बनाम।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

शिकायतकर्ता ने जाँच की, जो अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा ताकि यह माना जा सके कि वही अभियोजन पक्ष के संस्करण को कमजोर बनाता है। इस मामले का फैसला बिना किसी सार्वभौमिक सामान्यीकरण के मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना चाहिए।

9. अब हम दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हैं। पी. सी. जांच के संबंध में।

धारा 154 Cr.P.C में प्रावधान है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक जानकारी, यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित रूप में दी जाएगी।

धारा 156 Cr.P.C. में प्रावधान है कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी कोई भी अधिकारी किसी के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच कर सकता है।

मजिस्ट्रेट। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी भी कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसके तहत ऐसे अधिकारी को अधिकार नहीं दिया गया था। जांच करने के लिए अनुभाग। इसलिए, इस प्रकार, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर एक कर्तव्य डाला जाता है कि वह किसी संज्ञेय अपराध के करने से संबंधित लिखित जानकारी को कम करे और उसके बाद मामले की जांच करे।

एक ही।

धारा 157 विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि यदि प्राप्त या अन्यथा जानकारी से, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास किसी अपराध के होने पर संदेह करने का कारण है, जिसकी जांच करने के लिए वह धारा 156 के तहत सशक्त है, तो वह तुरंत पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट भेजेगा और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मौके पर जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करेगा।

इसलिए, धारा 157 Cr.P.C पर विचार करते हुए, या तो जानकारी प्राप्त करने पर या अन्यथा (गुप्त जैसे अन्य स्रोतों से हो सकती है) अस्पताल से सूचना, या टेलीफोन संदेश), यह एक दायित्व है जो ऐसे पुलिस अधिकारी, जो एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं, पर लगाया गया है कि वे जानकारी का संज्ञान लें और स्वयं लिखित रूप में और उसके बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करें, और यदि आवश्यक हो, तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करें। एक उदाहरण लें, यदि एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी एक पर गुजरता है

सड़क पर और वह एक शव और/या एक व्यक्ति को पीटा जा रहा पाता है जिसकी अंततः मृत्यु हो गई और इस तरह के [2020] 9 एस. सी. आर. में लिखित रूप में औपचारिक शिकायत देने के लिए कोई शव नहीं है।

स्थिति, और जब किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी उक्त अधिकारी के पास अपराध करने का संदेह करने का कारण होता है, तो उसे सूचना/शिकायत के रूप में लिखित रूप में इसे कम करना होता है। ऐसी स्थिति में, वह मामले की आगे की जांच करने से अछूता नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें जाँच करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पुलिस स्टेशन में हो और उसे एक टेलीफोनिक संदेश प्राप्त हो, हो सकता है कि वह अस्पताल से हो, और लिखित में औपचारिक शिकायत देने के लिए कोई निकाय न हो, ऐसे पुलिस अधिकारी को इसे लिखित रूप में कम करने की आवश्यकता होती है जिसे बाद में एक एफ. आई. आर./शिकायत में परिवर्तित किया जा सकता है और उसके बाद वह मौके पर पहुंचेगा और मामले की आगे की जांच करेगा। इस तरह की कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं। यही कारण है कि धारा 154,156 और 157 लागू होती हैं। 9.1 धारा 173 Cr.P.C के तहत, जांच पूरी करने के बाद पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करना आवश्यक है। इस प्रकार, Cr.P.C की योजना के तहत, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी को प्राप्त करने पर रोक है।

पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ओ) के तहत परिभाषित किया गया है। पी. सी. और इसमें शामिल है, जब पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी स्टेशन-हाउस से अनुपस्थित होता है या बीमारी या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो स्टेशन हाउस में मौजूद पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी के अगले रैंक का होता है और कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होता है या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो कोई अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित हैं।

9.2 जैसा कि इस न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम के मामले में कहा और अभिनिर्धारित किया। उत्तर प्रदेश सरकार एआईआर 2014 एससी 187 = (2014) 2 एससीसी

1 , धारा 154 में प्रयुक्त "होगा" शब्द पुलिस अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का कोई विवेकाधिकार नहीं देता है। का उपयोग करें

बिना किसी योग्यता के "सूचना" अभिव्यक्ति यह भी दर्शाती है कि पुलिस को अपनी तर्कसंगतता या विश्वसनीयता से असंतुष्ट होने के बावजूद जानकारी दर्ज करनी पड़ती है। इसलिए, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाते हुए ऐसी जानकारी को कम करना पड़ता है जिसे एफ. आई. आर. कहा जा सकता है और उसके बाद उसे जानकारी की आगे की जांच करने की आवश्यकता होती है, जिसे लिखित रूप में कम किया जाता है।

9.3 आइए अब हम एन. डी. पी. एस. के तहत संबंधित प्रावधानों पर विचार करें, जिनका पालन वारंट जारी करने, प्रवेश बढ़ाने, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के संबंध में किया जाना चाहिए, बिना वारंट या गिरफ्तारी के; सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी; प्रवेश; रोकें और तलाशी और उन शर्तों के संबंध में जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी।ऊपर उठा लिया। सुसंगत प्रावधान धारा 41,42,43,49,50,51,

3 , 54 , 55 , 57 , 57 ए, जो निम्नानुसार हैं:

" 41. वारंट और प्राधिकरण जारी करने की शक्ति। — (1) ए.

महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि उसने अपराध किया है।

इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध, या तलाशी के लिए, चाहे

दिन में या रात में, किसी भी इमारत, वाहन या स्थान पर जिसमें उसे किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ पर विश्वास करने का कारण है। पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के होने का सबूत दे सकती है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का सबूत दे सकती है जो जब्ती या फ्रीज या ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है।

इस अधिनियम के अध्याय वी. ए. के तहत रखा या छुपाया जाता है। (2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या अर्धसैनिक बलों या सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग का राजपत्रित रैंक का कोई भी अधिकारी जिसे केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया गया है, या राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया गया है, यदि उसने

किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण और लिखित रूप में लिया गया है कि किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया है

इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध या कोई मादक पदार्थ या मादक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु के होने का सबूत दे सकती है जो किसी भी अवैध रूप से [2020] 9 एस. सी. आर. रखने का सबूत दे सकती है।

अर्जित संपत्ति जो इस अधिनियम के अध्याय वी. ए. के तहत ज़ब्त या ज़ब्त या ज़ब्त के लिए उत्तरदायी है, किसी भी भवन, वाहन या स्थान में रखी या छिपी हुई है, किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत कर सकती है - वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या किसी इमारत, वाहन या स्थान की तलाशी लेने के लिए, चाहे वह दिन में हो या रात में या स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या किसी इमारत, वाहन या स्थान की तलाशी लेने के लिए, एक चपरासी, सिपाही या एक सिपाही से रैंक में उच्चतर है।

(3) जिस अधिकारी को उप-धारा (1) के तहत वारंट भेजा जाता है और गिरफ्तारी या तलाशी को अधिकृत करने वाले अधिकारी या उप-धारा (2) के तहत इस तरह से अधिकृत अधिकारी को धारा 42 के तहत कार्य करने वाले अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।

आदेश या प्राधिकरण। — (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी (जो चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से बेहतर रैंक का अधिकारी हो) जिसमें पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल जो केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त हैं, या ऐसा कोई अधिकारी (जो चपरासी, सिपाही या सिपाही से बेहतर रैंक का अधिकारी हो)।

राज्य सरकार के राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का (सिपाही) जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, यदि उसे किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण है और उसे लिखित रूप में हटा लिया गया है कि कोई मादक पदार्थ, या मादक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है, या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के होने का सबूत दे सकती है।

या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का सबूत दे सकती है जो जब्ती के लिए उत्तरदायी है। या इस अधिनियम के अध्याय वी. ए. के तहत फ्रीजिंग या ज़ब्त को सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान पर रखा या छुपाया जाता है,

(क) ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करें और उसकी तलाशी लें;

(ख) प्रतिरोध के मामले में, किसी भी दरवाजे को तोड़ें और इस तरह के प्रवेश में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करें।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

इस अधिनियम के तहत ज़ब्ती और कोई भी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जिस पर उसे विश्वास करने का कारण है, इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के होने का सबूत दे सकता है या किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का सबूत दे सकता है जो इस अधिनियम के अध्याय वी. ए. के तहत ज़ब्ती या ज़ब्त या ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है; और (घ) हिरासत में लें और तलाशी लें, और यदि वह उचित समझता है, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें।

जिनके बारे में उनके पास यह मानने का कारण है कि उन्होंने इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध किया हैः 1 [बशर्ते कि इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत दी गई विनिर्मित दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के निर्माण के लिए लाइसेंस धारक के संबंध में, ऐसी शक्ति का प्रयोग उप-निरीक्षक के पद से कम के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगाः बशर्ते कि] यदि ऐसे अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि किसी अपराधी के भागने के लिए साक्ष्य या सुविधा को छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी समय ऐसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है।

उसका विश्वास। (2) जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या उस परंतुक के तहत अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है, तो वह 72 घंटे के भीतर अपनी तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को इसकी एक प्रति भेजेगा।

43. सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति। धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी

(क) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या पारगमन में, किसी भी मादक दवा या मादक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ को जब्त करना, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है - प्रतिबद्ध किया गया है, और ऐसी दवा या पदार्थ के साथ, इस अधिनियम के तहत ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी कोई भी जानवर या वाहन या वस्तु, कोई भी दस्तावेज या अन्य वस्तु जिस पर उसे विश्वास करने का कारण है,

इस अधिनियम या किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु के तहत दंडनीय अपराध करने का साक्ष्य प्रस्तुत करें जो किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का साक्ष्य प्रदान कर सकता है जो इस अधिनियम के अध्याय वीए के तहत जब्ती या फ्रीज या ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है; [2020] 9 एस. सी. आर.

(बी) किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेना और तलाशी लेना, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि उसने इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है, और यदि ऐसे व्यक्ति के पास कोई मादक पदार्थ या मादक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ है और ऐसा कब्जा दिखाई देता है। उसे गैरकानूनी होने के लिए, उसे और उसके मामले में किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करें

कंपनी।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक स्थान" अभिव्यक्ति में कोई भी सार्वजनिक परिवहन, होटल, दुकान या अन्य स्थान शामिल है जिसका उपयोग जनता द्वारा किया जाता है या जनता के लिए सुलभ है।]

49. परिवहन को रोकने और खोजने की शक्ति। धारा 42 के तहत प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, यदि उसे संदेह करने का कारण है कि किसी भी पशु या परिवहन का उपयोग किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के परिवहन के लिए किया जाता है या होने वाला है [या नियंत्रित किया जाता है]

], जिसके संबंध में उसे संदेह है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का किसी भी समय उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, या होने वाला है, ऐसे जानवर या परिवहन को रोकें, या किसी विमान के मामले में, इसे उतरने के लिए मजबूर करें और

(क) वाहन या उसके हिस्से की खोज और खोज करना;

(ख) पशु पर या पशु में किसी भी वस्तु की जांच और खोज करें।

परिवहन;

(ग) यदि पशु या परिवहन को रोकना आवश्यक हो जाता है,

50. जिन शर्तों के तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी आयोजित किया गया। —

(1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला होता है, तो वह, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को ले लेगा।

धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट को अनावश्यक देरी के बिना।

(2) यदि ऐसी माँग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला सकता।

(3) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि वह केश सिंह के लिए कोई उचित आधार नहीं देखता है।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

तलाशी लें, व्यक्ति को तुरंत छुट्टी दें, लेकिन अन्यथा यह निर्देश दिया जाएगा कि तलाशी ली जाए।

(4) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, बिना इस संभावना के कि उस व्यक्ति की तलाशी ली जाए और उसके पास कोई मादक पदार्थ या मादक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु हो।

या दस्तावेज़, वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय, उस व्यक्ति की तलाशी के लिए आगे बढ़ सकता है

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के तहत प्रदान किया गया। (6) उप-धारा (5) के तहत तलाशी लेने के बाद, अधिकारी इस तरह के विश्वास के कारणों को दर्ज करेगा, जिसके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया था।

खोजबीन करें और 72 घंटों के भीतर इसकी एक प्रति उनके तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को भेजें।]

51. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और बरामदगी पर लागू होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे।

52. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का निपटारा और सामान जब्त। (1) धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई भी अधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा।

(2) हर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वारंट के तहत सामान जब्त किया गया

(3) प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उप-धारा के तहत सामान जब्त किया गया (2) धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 को अनावश्यक देरी के बिना आगे भेजा जाएगा।

(क) निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, या

(ख) धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी।

(4) प्राधिकारी या अधिकारी जिसके लिए कोई व्यक्ति या वस्तु है

उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत भेजे गए, सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ, ऐसे उपाय करेंगे जो आवश्यक हों।

ऐसे व्यक्ति या वस्तु के कानून के अनुसार निपटान के लिए। 53. कुछ विभागों के अधिकारियों को निवेश करने की शक्ति

एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियाँ। — (1) केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग [या केंद्र के किसी अन्य विभाग के किसी भी अधिकारी को निवेश कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, औषधि विभाग के किसी भी अधिकारी को निवेश कर सकती है। नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क 3 [या कोई अन्य विभाग] या इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों वाले ऐसे अधिकारियों का कोई वर्ग।

54. अवैध वस्तुओं के कब्जे से अनुमान। — इस अधिनियम के तहत परीक्षणों में, यह माना जा सकता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि अभियुक्त ने इसके तहत कोई अपराध किया है।

के संबंध में कार्य करें

(क) कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ;

(ख) जिस भूमि पर उसने खेती की है, उस पर उगने वाला कोई भी अफीम का खसखस, भांग का पौधा या कोका का पौधा;

(ग) विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया कोई उपकरण या बर्तनों का कोई समूह जो किसी मादक दवा या मादक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के निर्माण के लिए विशेष रूप से अपनाया गया हो; या

(घ) ऐसी कोई भी सामग्री जो किसी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के निर्माण की दिशा में किसी भी प्रक्रिया से गुजरी हो या

नियंत्रित पदार्थ, या सामग्री का कोई अवशेष जिससे कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ का निर्माण किया गया है, जिसके लिए वह संतोषजनक रूप से जिम्मेदार नहीं है]।

55. पुलिस जब्त की गई और वितरित की गई वस्तुओं का प्रभार लेगी।

पुलिस स्टेशन।

57. गिरफ्तारी और जब्ती की रिपोर्ट। जब भी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत कोई गिरफ्तारी या जब्ती करता है, तो वह ऐसी गिरफ्तारी या जब्ती के बाद अगले अड़तालीस घंटों के भीतर, अपनी तत्काल अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी या जब्ती के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट देगा।

श्रेष्ठ।

57 ए. अधिसूचित अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की संपत्ति की जब्ती की रिपोर्ट। जब भी धारा 53 के तहत अधिसूचित कोई अधिकारी इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी या जब्ती करता है, और ऐसी गिरफ्तारी या जब्ती के मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति पर अध्याय वी. ए. के प्रावधान लागू होते हैं, तो अधिकारी गिरफ्तारी या जब्ती के नब्बे दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की रिपोर्ट अधिकार क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को देगा। "

9.3. 1 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 धारा 42 में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को किसी भी व्यक्ति से सूचना मांगने के लिए अधिकृत/अनुमति देती है। स्वयं को संतुष्ट करने का उद्देश्य कि क्या कोई उल्लंघन हुआ है

किसी भी जांच के दौरान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश की। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 68 में यह प्रावधान है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई भी अधिकारी यह कहने के लिए मजबूर नहीं होगा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी कहां से मिली।

9.3. 2 उपरोक्त योजना और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों से यह प्रतीत होता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। धारा 41 (1) एक महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के लिए अधिकृत करती है, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि उसने कोई अपराध किया है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय, या तलाशी के लिए, चाहे दिन के अनुसार या [2020] 9 एस. सी. आर. द्वारा।

धारा 41 की उप-धारा 2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के राजपत्रित रैंक के किसी भी अधिकारी को, जो केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, या राजस्व के किसी भी अधिकारी को, पुलिस या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग को, जो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण है और लिखित रूप में लिया गया है कि किसी व्यक्ति ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है, जो उसके अधीनस्थ लेकिन चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से उच्चतर रैंक के किसी भी अधिकारी को अधिकृत करता है। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करें या किसी इमारत, वाहन या स्थान की तलाशी लें, चाहे वह दिन में हो या रात में या खुद ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करें या किसी इमारत, वाहन या स्थान की तलाशी लें।

9.3. 3 धारा 42 के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का कोई भी अधिकारी जो इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त है -

केंद्र सरकार या राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण का कोई ऐसा अधिकारी. पुलिस या राज्य सरकार का कोई अन्य विभाग जो है

राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त है, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी पर विश्वास करने का कारण है और लिखित रूप में लिया गया है कि कोई मादक दवा, या मनोदैहिक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है। प्रतिबद्ध, ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करें और तलाशी लें;

प्रतिरोध के मामले में, किसी भी दरवाजे को तोड़ें और ऐसे प्रवेश में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करें; ऐसी दवा या पदार्थ और उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री और किसी भी अन्य वस्तु और किसी भी जानवर या वाहन को जब्त करें।

जिसे उसके पास यह मानने का कारण है कि वह इस अधिनियम के तहत ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है और कोई भी दस्तावेज या अन्य वस्तु जिस पर उसके पास विश्वास करने का कारण है इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के होने का प्रमाण प्रस्तुत करें या किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का प्रमाण प्रस्तुत करें जो

इस अधिनियम के अध्याय वी. ए. के तहत जब्ती या फ्रीजिंग या ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है; और हिरासत में लेना और तलाशी लेना, और यदि वह उचित समझता है, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना।

जिनके बारे में उनके पास यह मानने का कारण है कि उन्होंने इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है।

9.3. 4 धारा 42 की उप-धारा 2 के अनुसार, ऐसे अधिकारी को उप-धारा के तहत लिखित में ली गई जानकारी की एक प्रति भेजनी होती है।

1 या विश्वास के लिए उसके आधार, 72 घंटों के भीतर उसके तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को। 9.3. 5 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत ही अंतर्निहित सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, जैसे कि धारा 50 और 52। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 मुकेश सिंह बनाम का प्रावधान करती है।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

कि जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41,42 या 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो वह सूचित करेगा

धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में या निकटतम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने वाले व्यक्ति और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को उसके बिना ले जाएगा।

उप में उल्लिखित निकटतम राजपत्रित अधिकारी को अनावश्यक देरी

धारा 50 की धारा 1। धारा 50 की उप-धारा 5 के अनुसार, जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति को किसी भी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज के साथ अलग होने की संभावना के बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास तलाशी के लिए ले जाना संभव नहीं है, तो वह उसे लेने के बजाय उसे ले जा सकता है।

ऐसा व्यक्ति निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास जाता है और आपराधिक संहिता की धारा 100 के तहत उस व्यक्ति की तलाशी के लिए आगे बढ़ता है।

प्रक्रिया, 1973। धारा 50 की उप-धारा 6 में प्रावधान है कि उप-धारा (5) के तहत तलाशी लेने के बाद, अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को दर्ज करेगा जिसके कारण ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी और 72 घंटे के भीतर उसकी एक प्रति अपने तत्काल अधिकारी वरिष्ठ को भेजेगा।

9.3. 6 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 में आदेश दिया गया है कि धारा 41,42,43 या 44 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई भी अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करे। धारा 52 की उप-धारा 2 में आगे यह प्रावधान है कि धारा 41 की उप-धारा 1 के तहत जारी वारंट के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और जब्त की गई वस्तु को बिना किसी अनावश्यक देरी के उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया था। धारा 52 की उप-धारा 3 के अनुसार, धारा 41,42,43 या 44 की उप-धारा 2 के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और जब्त की गई वस्तु को बिना किसी अनावश्यक देरी के राज्य के प्रभारी अधिकारी को भेज दिया जाएगा। निकटतम पुलिस स्टेशन, या धारा 53 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी।

कि उसके बाद जांच एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जानी है।

9.3. 7 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान, जहां तक वे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे। इसलिए, धारा 52 तक, शक्तियाँ हैं -

धारा 41,42 या 43 के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारियों के पास निहित है और उसके बाद जहां तक जांच का संबंध है, यह एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना है।

9.3. 8 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद, [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या अर्धसैनिक बलों या सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के किसी भी अन्य विभाग के किसी भी अधिकारी या ऐसे अधिकारियों के किसी भी वर्ग को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश किया जाता है। धारा 53 की उप-धारा 2 में आगे यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, मादक पदार्थ नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग के किसी भी अधिकारी या किसी अन्य विभाग या ऐसे अधिकारियों के किसी भी वर्ग को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश कर सकती है। अतः, द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपराधों की जाँच के लिए पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी हो सकती है।

धारा 53 में यह नहीं कहा गया है कि उन सभी अधिकारियों को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच इसके अलावा अन्य होगी।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41,42,43 और 44 के तहत प्राधिकृत अधिकारी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने अपने विवेक से यह कभी नहीं सोचा कि धारा 41,42,43 और 44 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत अधिकारी किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी नहीं हो सकते हैं।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच।

9.4 जाँच में तलाशी और जब्ती भी शामिल है। चूँकि जाँच एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जानी है और कोई अन्य नहीं और इसलिए जानबूझकर धारा 53 केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, जैसा भी मामला हो, मादक पदार्थ नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग के किसी भी अधिकारी या किसी अन्य विभाग या ऐसे अधिकारियों के किसी भी वर्ग को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश करने के लिए अधिकृत करती है।

धारा 42 में उल्लिखित किसी भी अधिकारी को वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की गई है।

धारा 42 में राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या राज्य सरकार या केंद्र के किसी अन्य विभाग का कोई भी अधिकारी शामिल है।

सरकार, जैसा भी मामला हो, और जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 53 केंद्र सरकार को किसी भी अधिकारी को निवेश करने के लिए अधिकृत करती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या केंद्र सरकार का कोई अन्य विभाग. या ऐसे अधिकारियों का कोई भी वर्ग जिसकी जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां हों। राज्य सरकार के पास भी इसी तरह की शक्तियां हैं।

मुकेश सिंह वी. स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

धारा 42 और 53 में एकमात्र परिवर्तन यह है कि धारा 42 में शब्द

" पुलिस "है, लेकिन धारा 53 में" पुलिस "शब्द नहीं है। पुलिस के लिए इस तरह की आवश्यकता की आवश्यकता नहीं होने का एक स्पष्ट कारण है क्योंकि वह हमेशा सी. आर. के तहत परिभाषित "पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी" की परिभाषा के अनुसार पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी हो सकता है। पी. सी

9.5 इसलिए, एन. डी. पी. एस. अधिनियम विशेष रूप से सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक जांचकर्ता और पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी होने से नहीं रोकता है। इसके विपरीत, यह अनुमति देता है, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है। एक लेने के लिए

इसके विपरीत विचार धारा 53 और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन और/या कुछ ऐसा जोड़ना होगा जो वहां नहीं है, जिसकी अनुमति नहीं है।

10. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि जहाँ तक एन. डी. पी. एस. अधिनियम का संबंध है, इसमें सबूत का उल्टा बोझ है।

धारा 35 और 54 के तहत और इसलिए यदि सूचना देने वाला जिसने स्वयं आरोपी से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है और उसके बाद वह स्वयं मामले की जांच करता है, तो आरोपी के मन में आशंका की सभी संभावनाएं होंगी कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी और संबंधित अधिकारी अपना पक्ष/जब्ती को साबित करने का प्रयास करेगा और

इस बात पर ध्यान दिया कि संबंधित मुखबिर द्वारा की गई जांच निष्पक्ष थी या नहीं, यह हमेशा मुकदमे के समय तय किया जाना चाहिए। संबंधित सूचना देने वाले/जांचकर्ता को गवाह के रूप में उद्धृत किया जाएगा और वह हमेशा प्रतिपरीक्षा के अधीन रहता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें अभियोजन पक्ष का मामला भी न केवल सूचना देने वाले/सूचना देने वाले-सह-जांचकर्ता के बयान पर आधारित हो, बल्कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं स्वतंत्र गवाह और/या यहाँ तक कि अन्य पुलिस गवाह भी। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है, पुलिस कर्मियों की गवाही को किसी अन्य गवाह की गवाही के समान ही माना जाएगा और कानून का कोई सिद्धांत नहीं है कि स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि के बिना उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। [देखें करमजीत सिंह बनाम।

राज्य (दिल्ली प्रशासन) (2003) 5 एससीसी 291]। जैसा कि इस न्यायालय ने देवेंद्र पाल सिंह बनाम के मामले में कहा और अभिनिर्धारित किया। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2002) 5 एस. सी. सी. 234, यह धारणा कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है यह अन्य व्यक्तियों की तरह ही एक पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लागू होता है, और बिना किसी अच्छे आधार के उस पर अविश्वास और संदेह करना न्यायिक दृष्टिकोण नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10.1 इस स्तर पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ई) के लिए संदर्भ दिया जा सकता है। उक्त प्रावधान के अनुसार, कानून में

यदि कोई आधिकारिक कार्य किया गया है, तो यह माना जाएगा कि यह नियमित रूप से किया जाता है। ईमानदारी से या अपने अधिकार की सीमा के भीतर काम नहीं करने के विपरीत किसी भी सबूत के अभाव में लोक अधिकारियों को श्रेय दिया जाना चाहिए। इसलिए, केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता ने जांच की जो पूरे अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि वही अभियोजन पक्ष के संस्करण को कमजोर बनाता है। इस मामले को बिना किसी सार्वभौमिक सामान्यीकरण के मामले दर मामले के आधार पर तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

10.2 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ऐसे मामलों में जहां कोई भी व्यक्ति एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42,43 या 44 के तहत सशक्त है।

कानून ने स्वयं धारा 58 के अनुसार दंड का प्रावधान किया है और यह धारा 58 के तहत एक अपराध है जो एक संज्ञेय अपराध है और इस तरह के अपराध की जांच उस अधिकारी के अलावा "पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी" द्वारा की जानी चाहिए जिसने धाराओं के तहत प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग किया हो।

42 , 43 , या 44 स्वाभाविक रूप से ऐसे मामले में वह एक प्रस्तावित अभियुक्त होगा और इसलिए उसे जांच करने और अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, जहाँ तक एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ जांच का संबंध है, वही सादृश्य यहाँ ऊपर बताए गए कारणों के लिए लागू नहीं हो सकता है।

10.3 अब जहाँ तक इस न्यायालय द्वारा पैरा में की गई टिप्पणियाँ हैं

13 मोहन लाल (उपर्युक्त) मामले में कि सबूत के विपरीत बोझ की प्रकृति में, अभियोजन पक्ष पर यह प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी होगी कि जांच निष्पक्ष, विवेकपूर्ण थी और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिससे इसकी सत्यता के बारे में संदेह पैदा हो, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम के तहत अनुमान एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और 54 के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ है। इस प्रकार, प्रमाण के विपरीत बोझ के मामलों में, अनुमान काम कर सकता है। अभियोजन पक्ष पर मौजूद प्रारंभिक बोझ के संतुष्ट होने के बाद ही। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विपरीत बोझ केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम और रोकथाम जैसे विशेष अधिनियमों में मौजूद नहीं है।

भ्रष्टाचार अधिनियम, लेकिन आई. पी. सी.-धारा 304 बी का भी एक हिस्सा है और दंड संहिता के तहत ऐसे सभी अपराधों की जांच Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार की जानी है और इसके परिणामस्वरूप सूचना देने वाला स्वयं धारा 157 Cr.P.C के तहत उक्त अपराधों की जांच कर सकता है। 11. इसलिए, सूचना देने वाले की विश्वसनीयता पर संदेह करने और अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर केवल मुकेश सिंह बनाम पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

स्टेट (नार्कोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली) [एम. आर. शाह, जे.]

इस आधार पर कि सूचना देने वाले ने मामले की जांच की है। केवल किसी आशंका या संदेह के आधार पर, अभियोजन पक्ष के पूरे संस्करण को खारिज नहीं किया जा सकता है और जब तक अभियुक्त पक्षपात और पूर्वाग्रह को स्थापित करने और साबित करने में सक्षम नहीं होता है, तब तक अभियुक्त को सीधे बरी नहीं किया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने रामचंद्र (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि पूर्वाग्रह या पक्षपात का प्रश्न स्थापित किया जाना चाहिए न कि अनुमान लगाया जाना चाहिए। पक्षपात के सवाल का फैसला प्रत्येक मामले के तथ्यों पर करना होगा [विपान कुमार जैन (ऊपर देखें)]। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है और जैसा कि ऊपर देखा गया है, एन. डी. पी. एस. अधिनियम विशेष उद्देश्य के साथ और धारा 68 सहित विशेष प्रावधानों के साथ एक विशेष अधिनियम है जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी अधिकारी एन. डी. पी. एस. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के किसी भी प्रावधान के तहत उसे निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है।

उस मामले में, जहां शिकायतकर्ता ने स्वयं जांच की थी, रिकॉर्ड पर साक्ष्य का आकलन करते समय मामले के ऐसे पहलू को निश्चित रूप से उचित महत्व दिया जा सकता है। इसलिए, जैसा कि भास्कर रामप्पा मदार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा उचित रूप से कहा गया है, मामले का निर्णय बिना किसी सार्वभौमिक सामान्यीकरण के मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसा कि इस न्यायालय ने वी. जयपॉल के मामले में उचित निर्णय दिया था। (ऊपर), सूचना देने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामले की जांच करने के लिए कोई रोक नहीं है। जैसा कि सही देखा गया है, यदि इस तरह की जांच केवल जांच अधिकारी की ओर से पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना के आधार पर की जा सकती है, तो पूर्वाग्रह का सवाल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसलिए [2020] 9 एस. सी. आर. निर्धारित करना उचित नहीं है।

व्यापक और अयोग्य प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक मामले में जहां पुलिस अधिकारी जिसने पहली जानकारी दर्ज करके मामला दर्ज किया है, वह जांच करता है जो स्वयं आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करता है और इस तरह यह पूरे अभियोजन मामले को दूषित करता है और आरोपी बरी होने का हकदार है।

12. उपरोक्त चर्चा से और ऊपर बताए गए कारणों से, हम निष्कर्ष निकालते हैं और नीचे दिए गए संदर्भ का उत्तर देते हैं:

I. कि भगवान के मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियां

सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (1976) 1 एस. सी. सी. 15; मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1996) 11 एस. सी. सी. 709; और राज्य पुलिस निरीक्षक, एन. आई. बी., तमिलनाडु बनाम। राजंगम (2010) 15 एस. सी. सी. 369 और इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को इस आधार पर बरी किया गया कि सूचना देने वाला और अन्वेषक एक ही थे, इसने मुकदमे को दूषित कर दिया है और अभियुक्त को बरी कर दिया गया है।

बरी करने के लिए; II. ऐसे मामले में जहां सूचना देने वाला स्वयं जांचकर्ता है, उसके द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच पक्षपात या इसी तरह के कारक के आधार पर दूषित है। पक्षपात या पूर्वाग्रह का सवाल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अतः केवल

क्योंकि सूचना देने वाला जांचकर्ता होता है, इसलिए स्वयं जांच में अन्याय या पक्षपात नहीं होगा और इसलिए एकमात्र आधार पर कि सूचना देने वाला जांचकर्ता है, आरोपी का अधिकार नहीं है

दोषमुक्त। मामले का फैसला मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना है। मोहन लाल बनाम के मामले में इस न्यायालय का एक विपरीत निर्णय। पंजाब राज्य

(2018) 17 एस. सी. सी. 627 और इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने वाला कोई अन्य निर्णय कि सूचना देने वाला अन्वेषक नहीं हो सकता है और ऐसे मामले में अभियुक्त बरी होने का हकदार है, अच्छा कानून नहीं है और उन्हें विशेष रूप से खारिज कर दिया जाता है।

13. संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

14. अब, संबंधित याचिकाओं को उपयुक्त न्यायालय के समक्ष रखा जाए जो याचिकाओं के अनुसार निर्णय लेने के लिए ऐसे मामलों को उठाए।

कानून और गुणों के साथ और ऊपर की गई टिप्पणियों और संदर्भ के लिए हमारे उत्तर के प्रकाश में, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

संदर्भ

ने जवाब दिया।

दिव्या पांडे